पत्रांक–956/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगल स्टेज/आर0एफ0पी0/2023

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक–29 फरवरी, 2024

विषय–सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्थान्तर्गत निर्गत नयी आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–मु0अ0–34/29–6–2021 दिनांक–09.03.2021 द्वारा प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम डिपो से उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक खाद्यान्न के उठान/प्रेषण हेतु सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू की गयी थी, जिसके क्रम में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ई–टेण्डर के माध्यम से हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु शासनादेश सं0–878/29–6–2021 दिनांक 14.06.2021 एवं संशोधित शासनादेश सं0–1555/29–6–2021 दिनांक 03.09.2021 निर्गत किये गये थे। उल्लेखनीय है कि कतिपय सम्भागों में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के टेण्डर समाप्त हो गये हैं तथा कतिपय सम्भागों में शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों/समस्याओं एवं छोटे वाहनों की अनिवार्यता के दृष्टिगत तथा शिड्यूल दरों को और अधिक तथ्यात्मक बनाते हुये शासन द्वारा शासनादेश संख्या–380/29–6–2024/ई–6099/2641/2020 दिनांक–26.02.2024 द्वारा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु नयी आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्तें निर्गत की गयी हैं।

अतः हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु अनुमोदित नयी आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्तों के आधार पर समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा तत्काल ई–टेण्डर आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त के साथ–साथ निम्नवत् दिये गये सामान्य निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा समस्त ब्लाकों हेतु तत्काल ई–टेण्डर आमंत्रित किये जायेगें एवं जिन ब्लाकों पर ठेके के अनुबन्ध की अवधि अभी अवशेष होगी, उन ब्लाकों पर आमंत्रित किये गये ठेके, वर्तमान में प्रचलित ठेका/अनुबन्ध की अवधि के समाप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा ब्लाकवार/केन्द्रवार पृथक–पृथक ई–टेण्डर प्रकाशित किया जायेगा।

3. नयी आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अनुसार ब्लाकवार आवंटन/आवश्यकता के आधार पर बड़े एवं छोटे-हल्के वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता एवं संख्या का तत्काल आंकलन करते हुये नियमानुसार ई-टेण्डर आमंत्रित किये जायेगें।

4. टेण्डर फार्म के प्रारूप, शपथ पत्र का प्रारूप, टेण्डर की शर्तें, निविदा हेतु चेक लिस्ट एवं ब्लाकवार आवंटन के सापेक्ष स्वयं की ट्रकों की न्यूनतम अनिवार्यता का विवरण आदि संलग्न है। टेण्डर स्वीकृत होने की स्थिति में विभाग के साथ सम्पादित होने वाले अनुबन्ध का प्रारूप पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

5. टेण्डर खुलने, बन्द होने की तिथि व समय निविदा विज्ञप्ति में दी जायेगी तथा निविदा सूचना की सूक्ष्म विज्ञप्ति 03 लीडिंग समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जायेगी। इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होगें।

6. ई-टेण्डर हेतु जारी खाद्य विभाग तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के निर्देशों में किसी भिन्नता की स्थिति में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के निर्देश प्रभावी होगें।

7. हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेके के कार्य हेतु कार्य आवंटन आदेश सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर योगदान कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

8. ठेका निरस्तीकरण आदि आदेश के विरूद्ध 30 दिन के भीतर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(सौरभ बाबू)
आयुक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. निजी सचिव, माननीय खाद्य तथा रसद, राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
7. समस्त वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारी/सम्भागीय लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(सौरभ बाबू)
आयुक्त।

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन कार्य व अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्यों हेतु निविदा की शर्तें व अन्य विवरण

1. कार्य का उद्देश्य

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम डिपो से सीधे उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न तथा राज्य एवं भारत सरकार द्वारा भविष्य में यदि कोई अन्य योजना लागू की जाती हैं, तो उन योजनाओं के खाद्यान्न/चीनी के उठान/प्रेषण हेतु परिवहन एवं हैण्डलिंग से सम्बन्धित कार्य तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय कार्य हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से ब्लाकवार ई–निविदा आमंत्रित की जा रही है।

इस प्रकिया के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता रखने वाले निविदादाताओं द्वारा ब्लाकवार पृथक–पृथक निविदा डाली जा सकती है। निविदा डालने हेतु सम्बन्धित निविदादाता को विभाग की आवश्यकता के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार ब्लाकवार पृथक–पृथक बड़े एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने होगें।

2. निविदा का आमंत्रण –

2.1. ई–टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा ई–रजिस्ट्रेशन, ई–कोडिंग, टेण्डर कियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर फार्म परचेज, टेण्डर सबमिशन, बिड ओपनिंग, नियुक्ति/निर्णय आदि कार्य इलेक्ट्रॉनिकली किये जायेंगे।

2.2. इस निमित्त टेण्डर फार्म के साथ शपथ–पत्र का प्रारूप, टेण्डर की शर्तें व अन्य संगत प्रपत्र, विभाग द्वारा अपलोड कर इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3. टेण्डर फार्म शुल्क, धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/ऑन लाइन जमा करने हेतु बैंक का नाम, पता एवं एकाउण्ट नम्बर, आई0एफ0एस0 कोड आदि विभाग द्वारा टेण्डर प्रपत्र पर ही उपलब्ध कराया जायेगा।

2.4. इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होगें।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

2.5. कार्य के विवरण एवं टेण्डर की शर्तों मे उल्लिखित निर्देशों/शर्तों के अनुसार ठेकेदार को कार्य करने होगें। इस हेतु ब्लॉकवार/केन्द्रवार पृथक–पृथक टेण्डर प्रकाशित किया जायेगा।

2.6. सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा निविदादाताओं के साथ अनिवार्य रूप से प्री–बिड बैठक की जायेगी, जिसमें उन्हें निविदा/निविदा शर्तो आदि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जायेगी एवं उनकी पृच्छाओं को निवारण किया जायेगा तथा नये ठेकेदारों को निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा करायी जायेगी।

3. निविदादाताओं की श्रेणी –

ठेकेदारों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, नये लोगों को प्रत्साहित करने एवं ठेकेदारों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत निविदाकर्ताओं को निम्न् 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है :–

3.1. "अ श्रेणी" के ठेकेदार – ऐसे ठेकेदार, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 03 या उससे अधिक ब्लाकों के टेण्डर हेतु आवेदन किया जायेगा।

3.2. "ब श्रेणी" के ठेकेदार – ऐसे ठेकेदार, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 02 या उससे कम ब्लाकों के टेण्डर हेतु आवेदन किया जायेगा।

4. कार्य का विवरण –

4.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिंगल स्टेज परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य –

4.1.1 प्रत्येक ब्लॉक हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्थान्तर्गत एक हैण्डलिंग तथा परिवहन ठेकेदार नियुक्त किया जायेगा, जिसके द्वारा केन्द्रीयपूल व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित गोदामों से प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के खाद्यान्न का परिवहन सीधे उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक निर्धारित मार्ग से पहुँचाया जायेगा।

4.1.2 सफल निविदादाता द्वारा उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर पहुंचाये गये खाद्यान्न की तौल सहित अनलोडिंग का कार्य करना होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

4.1.3. सिंगल स्टेज ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के पश्चात् उनसे प्राप्ति रसीद टी0सी0डी0सी0 पर सदिनांक प्राप्त कर उसे प्रेषण प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

4.1.4. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटित चीनी का उठान निर्धारित चीनी मिल से नियत स्थान तक किया जायेगा।

4.1.5. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार द्वारा एम0डी0एम0/पी0एम0 पोषण, आई0सी0डी0एस0 आदि योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के हैण्डलिंग तथा परिवहन का कार्य निर्धारित स्थान से नियत स्थान/उचित दर विक्रेता की दुकान तक करना होगा।

4.1.6. आवश्यकता पड़ने पर सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार द्वारा सीधे रेल हेड से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का परिवहन निर्धारित मार्ग से नियत स्थान/उचित दर विकेता की दुकानों तक किया जायेगा तथा उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर पहुंचाये गये खाद्यान्न की तौल सहित अनलोडिंग का कार्य करना होगा।

4.1.7. उपरोक्त के अतिरिक्त सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित अन्य कार्य यथा–बोरों की रैक हैण्डलिंग /परिवहन का कार्य, खाद्यान्न/अन्य जिन्स/बोरा/डेड स्टाक आदि का परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य आदि भी करना होगा।

4.1.8. विभाग द्वारा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार से आवश्यकतानुसार सीजनल परिवहन कार्य/अन्य कार्य (भविष्य में राज्य एवं भारत सरकार द्वारा यदि कोई योजना लागू की जाती हैं, तो उन योजनाओं के परिवहन एवं हैण्डलिंग से सम्बन्धित कार्य) भी करवाया जा सकता है।

4.1.9. जनपद– .... ब्लाक– .... का कार्य करने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को कुल .... क्षमता के .... (संख्या) के बड़े वाहन/ट्रक तथा कुल .... क्षमता के .... (संख्या) के छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने होगें। ब्लाकवार वाहनों की आवश्यकता का क्षमतावार एवं संख्यावार पूर्ण विवरण "**परिशिष्ट– VII**" संलग्न है। (यदि भविष्य में आवश्यकता होती है, तो दिये गये विवरण के अतिरिक्त ट्रकों/छोटे वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता व संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार कम/अधिक भी हो सकती है)।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

4.2. हैण्डलिंग कार्य –

ई–टेण्डर के माध्यम से चयनित ठेकेदार को विभाग द्वारा किये जाने वाले सीजनल कार्य यथा–खरीफ एवं रबी विपणन वर्ष में धान/गेहूं/मोटे अनाज/मिलेट्स के क्रय केन्द्रों पर खाद्यान्न की हैण्डलिंग का कार्य करना होगा तथा आवश्यकतानुसार भविष्य में राज्य एवं भारत सरकार द्वारा कोई योजना लागू किये जाने की स्थिति में, उस योजना से सम्बन्धित हैण्डलिंग कार्य भी करना होगा। भारत सरकार के पत्र सँख्या 191(1)/2019–FC&ACs Part File 1 दिनाँक 24.02.2020 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार क्रय केन्द्रों पर खाद्यान्न की हैण्डलिंग कार्य में कृषक द्वारा लाये गए खाद्यान्न का उतार (यदि लागू हो), उसकी तौलाई, भराई, सिलाई तथा स्टैंसिलिंग/लेबलिंग एवं क्रय केन्द्रों से डिस्पैच के समय वाहनों में लोडिंग का कार्य सम्मिलित होगा।

5. कार्य की अवधि –

5.1. कार्य की अवधि कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

5.2. अपरिहार्य स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के अनुरोध पर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अधिकतम 03 माह की अतिरिक्त अवधि हेतु पूर्व स्वीकृत दर पर ठेका/कार्य की अवधि विस्तार किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगें।

5.3. इसके उपरान्त ठेके की अवधि का विस्तार शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

6. पात्रता की शर्तें –

6.1. "अ श्रेणी" के ठेकेदार हेतु –

6.1.1 **यू0पी0एल0सी0 में पंजीकरण** :– प्रत्येक हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने हेतु शासनादेश संख्या–3/2017–1067/78–2–2017–42 आई0टी0/2017 दिनांक–12.05.2017 एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुरूप यू0पी0 इलेक्ट्रानिकस् कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निर्धारित शुल्क जमा करके पंजीकरण एवं नियमानुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी ठेकेदारों को उ0प्र0 सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित शुल्क जमा कर डिजिटल सिग्नेचर बनवा कर टेण्डर में प्रतिभाग किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

6.1.2. निविदादाता एक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

6.1.3. निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकृत होना चाहिये।

6.1.4. निविदादाता के पास विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 50 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 50 लाख का कार्यानुभव होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में फर्म का ही कार्यानुभव मान्य होगा तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का ही कार्यानुभव मान्य होगा।

6.1.5. निविदादाता की न्यूनतम हैसियत रू–50 लाख होनी चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत भी मान्य होगी एवं कम्पनी की दशा में कम्पनी की हैसियत मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6.1.6. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सभी सदस्यों/भागीदारों के चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेश के निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र, उस प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिये। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

6.1.7. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने आधार की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। भागीदारी फर्म तथा कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/भागीदारों के आधार की प्रति अपलोड करने होंगे। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

(... प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं ... अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

6.1.8. निविदादाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी ई–टेण्डर डालते समय अपलोड की जायेगी, जिसमें विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न, आडिटेड बैलेंस शीट (जहाँ, जो लागू हो), प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहाँ जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

6.1.9. यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

6.1.10. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय पैन एवं जी0एस0टी0 की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा।

6.1.11. निविदादाता को ई–टेण्डर के साथ रू–1,00,000/– प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। उक्त धरोहर धनराशि ई–टेण्डर नोटिस में दिये गये विवरणानुसार जमा की जायेगी तथा ई–टेण्डर के साथ उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा।

6.1.12. निविदादाता द्वारा परिशिष्ट – II एवं परिशिष्ट – III पर दिये गये प्रारूपों के अनुसार शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

6.1.13. निविदादाता हेतु ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं के ट्रकों एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की न्यूनतम अनिवार्यता निम्नवत् होगी, जिनकी क्षमता विभाग द्वारा संलग्न किये गये विवरण के अनुसार मान्य होगी (ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाहनों की संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार कम/अधिक भी हो सकती है) :–

क्र0	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता	स्वयं के छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनिवार्यता (03 टन से लेकर 09 टन से कम तक की भार क्षमता वाले)	स्वयं के कुल वाहनों की अनिवार्यता
1	2	3	4	5
1	6000 कु0 तक	2	1	3
2	6001 से 10,000 कु0 तक	3	1	4
3	10001 से 14,000 कु0 तक	4	2	6
4	14,000 कु0 से अधिक	5	3	8

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

उपरोक्त तालिका में वर्णित वाहनों के अतिरिक्त, वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वाहनों का ब्लाकवार, क्षमतावार एवं संख्यावार पूर्ण विवरण ई–टेण्डर के **परिशिष्ट–VII** संलग्न है, जिसके अनुसार ट्रकें/वाहन उपलब्ध कराने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा तथा यदि ठेकेदार को किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ठेकेदार द्वारा टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर किराये के ट्रक/वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि किरायेनामे सहित उपलब्ध कराने होगें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

6.1.14. एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल–1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लॉक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक केन्द्रों/क्षेत्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल–1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल–1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। जिन वाहनों के सेट के आधार पर ठेकेदार को किसी ब्लॉक का ठेका प्राप्त हो जाता है तो उन वाहनों को किसी अन्य ब्लॉक के टेण्डर डालने में अंकित/प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6.2. "ब श्रेणी" के ठेकेदार हेतु –

6.2.1. 'ब' श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा प्रदेश में अधिकतम 02 ब्लाकों के लिये आवेदन किया जा सकता है। यदि ऐसे ठेकेदारों द्वारा 02 ब्लाकों के लिये आवेदन कर दिया गया है, तो उन्हें इससे अधिक ब्लाकों के लिये आवेदन का अवसर नहीं दिया जायेगा, परन्तु यदि उसके द्वारा किया गया कोई आवेदन असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, वो पुनः अधिकतम 02 ब्लॉकों की सीमा तक आवेदन किये जाने हेतु पात्र हो जायेगा।

6.2.2. प्रत्येक हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने हेतु शासनादेश संख्या–3/2017–1067/78–2–2017–42 आई0टी0/2017 दिनांक–12.05.2017 एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुरूप यू0पी0 इलेक्ट्रानिकस् कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निर्धारित शुल्क जमा करके पंजीकरण एवं नियमानुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी ठेकेदारों को उ0प्र0 सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित शुल्क जमा कर डिजिटल सिग्नेचर बनवा कर टेण्डर में प्रतिभाग किया जायेगा।

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

6.2.3. निविदादाता एक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

6.2.4. निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकृत होना चाहिये।

6.2.5. निविदादाता के पास विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 30 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 30 लाख का कार्यानुभव होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव भी मान्य होगा।

6.2.6. यदि किसी निविदादाता के पास उपरोक्तानुसार कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।

6.2.7. निविदादाता की न्यूनतम हैसियत रू–30 लाख होनी चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत भी मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6.2.8 निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सभी सदस्यों/भागीदारों के चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेश के निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र, उस प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिये। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

6.2.9. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने आधार की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। भागीदारी फर्म तथा कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/भागीदारों के आधार की प्रति अपलोड करने होंगे। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

6.2.10. निविदादाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी ई–टेण्डर डालते समय अपलोड की जायेगी, जिसमें विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न, आडिटेड बैलेंस शीट (जहॉ, जो लागू हो), प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहॉ जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

6.2.11. यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

6.2.12. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय पैन एवं जी0एस0टी0 की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा।

6.2.13. यदि किसी निविदादाता द्वारा पूरे प्रदेश में केवल 02 या उससे कम ब्लाकों हेतु टेण्डर डाला जाता है तो उस स्थिति में ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं के ट्रकों एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की न्यूनतम अनिवार्यता निम्नवत् होगी, (ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाहनों की संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार कम/अधिक भी हो सकती है) :–

क्र0	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता	स्वयं के छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनिवार्यता (03 टन से लेकर 09 टन से कम तक की भार क्षमता वाले)	स्वयं के कुल वाहनों की अनिवार्यता
1	2	3	4	5
1	6000 कु0 तक	1	0	1
2	6001 से 10,000 कु0 तक	1	1	2
3	10001 से 14,000 कु0 तक	2	1	3
4	14,000 कु0 से अधिक	2	2	4

वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वाहनों का ब्लाकवार, क्षमतावार एवं संख्यावार पूर्ण विवरण ई–टेण्डर के आमंत्रित करते समय दिया जायेगा, जिसके अनुसार ट्रकें/वाहन उपलब्ध कराने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा तथा यदि ठेकेदार को किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ठेकेदार द्वारा टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर किराये के ट्रक/वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि किरायेनामे सहित उपलब्ध कराने होगें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रकाश त्रिपाठी)

6.2.14. एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल–1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लॉक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक केन्द्रों/क्षेत्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल–1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल–1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। जिन वाहनों के सेट के आधार पर ठेकेदार को किसी ब्लॉक का ठेका प्राप्त हो जाता है तो उन वाहनों को किसी अन्य ब्लॉक के टेण्डर डालने में अंकित/प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6.2.15. उक्त तालिका में वर्णित ट्रकों/वाहनों की न्यूनतम उपलब्धता होने पर ठेकेदार तकनीकी बिड हेतु अर्ह तो होगा, परन्तु ठेकेदार को विभाग द्वारा सम्बन्धित ब्लाक हेतु अंकित क्षमता एवं संख्या के अनुसार स्वयं/किराये के ट्रकों/वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी।

6.2.16. यदि किसी निविदादाता द्वारा पूरे प्रदेश में केवल 02 या उससे कम ब्लाकों हेतु टेण्डर डाला जाता है तो उस स्थिति में निविदादाता को **परिशिष्ट–IV** में दिये गये प्रारूप पर इस आशय का शपथ पत्र (रू0 10/– के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित) भी उपलब्ध कराना होगा कि उसके द्वारा पूरे प्रदेश में केवल 02 या उससे कम ब्लाकों पर ही आवेदन किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।

6.2.17. निविदादाता को ई–टेण्डर के साथ रू–60000/– प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। उक्त धरोहर धनराशि ई–टेण्डर नोटिस में दिये गये विवरणानुसार जमा की जायेगी तथा ई–टेण्डर के साथ उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा।

6.2.18. निविदादाता द्वारा **परिशिष्ट – II** एवं **परिशिष्ट – III** पर दिये गये प्रारूपों के अनुसार शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

6.3. हैण्डलिंग कार्य हेतु –

6.3.1. निविदादाता एक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

6.3.2. निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकृत होना चाहिये।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

6.3.3. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सभी सदस्यों/भागीदारों के चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेश के निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र, उस प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिये। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

6.3.4. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने आधार की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। सभी सदस्यों/भागीदारों के अपलोड करने होंगे। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

6.3.5. निविदादाता की न्यूनतम हैसियत रू–30 लाख होनी चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6.3.6. निविदादाता के पास विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 05 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षो का औसत मिलाकर रू0 05 लाख का कार्यानुभव होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव भी मान्य होगा।

6.3.7. यदि किसी निविदादाता के पास उपरोक्तानुसार कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,

6.3.8. निविदादाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी ई–टेण्डर डालते समय अपलोड की जायेगी, जिसमें विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न, आडिटेड बैलेंस शीट (जहाँ, जो लागू हो), प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहाँ जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

6.3.9. यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

6.3.10. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय पैन एवं जी0एस0टी0 की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा।

6.3.11. निविदादाता को ई–टेण्डर के साथ रू–30000/– प्रति केंद्र की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। उक्त धरोहर धनराशि ई–टेण्डर नोटिस में दिये गये विवरणानुसार जमा की जायेगी तथा ई–टेण्डर के साथ उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा।

6.3.12. निविदादाता द्वारा परिशिष्ट – II, परिशिष्ट – III एवं परिशिष्ट – IV पर दिये गये प्रारूपों के अनुसार शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

7. ई–टेंडर के साथ जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची –

ई–टेंडर में पात्रता हेतु निविदादाता द्वारा जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची परिशिष्ट –V पर संलग्न है। निविदादाता द्वारा सभी प्रपत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी।

8. अनर्हता की स्थितियाँ –

8.1. वर्तमान में कार्यरत आढती, गल्ला व्यापारी, मण्डी समिति /वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत खाद्यान्न/चीनी के लाइसेन्सी, उचित दर विक्रेता, मिट्टी के तेल का थोक विक्रेता, चावल मिलर, फ्लोर मिलर, एफ0पी0ओ0, एफ0पी0सी0 एवं अधिवक्ता उक्त हेतु अनर्ह होंगे।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

8.2. वर्तमान में कार्यरत आढती, गल्ला व्यापारी, मण्डी समिति/वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत खाद्यान्न/चीनी के लाइसेन्सी, उचित दर विक्रेता, मिट्टी के तेल का थोक विक्रेता, चावल मिलर, फ्लोर मिलर, एफ0पी0ओ0, एफ0पी0सी0 एवं उनके परिवारीजन, जिसमें उत्तर प्रदेश पी0डी0एस0 कन्ट्रोल आर्डर, 2016 में दी गयी परिभाषा के अनुसार सम्मिलित परिवारीजन अनर्ह होगें, जो निम्नवत् हैं :–

8.2.1. परिवार का मुखिया।पति/पत्नी विधिक रूप से अपनाये गये दत्तक सन्तान सहित

8.2.2. वयस्क सन्तान जो परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से आश्रित हो

8.2.3. अविवाहित अथवा विधिक रूप से पृथक अथवा विधवा बेटीं, जो पूर्ण रूप से आश्रित हो

8.2.4. परिवार के मुखिया के पूर्ण रूप से आश्रित माता–पिता।

8.3. ऐसे भागीदार ठेकेदार अथवा उनके परिवारीजन, जो पूर्व में खाद्य विभाग अथवा भारतीय खाद्य निगम अथवा सहयोगी क्रय एजेन्सी से ब्लैक लिस्ट हुये हों, के सहभागिता की फर्म या कम्पनी निविदा आवेदन हेतु अनर्ह होंगे।

8.4. ऐसा ठेकेदार जिसने विभाग से प्राप्त ठेके का कार्य करते समय किसी कालाबाजारी अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया हो अथवा उसने ठेके को किसी अन्य को सबलेट किया हो तथा ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के उपबन्धों के अधीन दोष सिद्ध हो, उसे आवेदन हेतु अनर्ह माना जायेगा।

8.5. माफिया गतिविधियों मे लिप्त व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, नाबालिग एवं बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 टेण्डर प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगें।

9. निविदा शुल्क –

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, ... द्वारा ब्लाक–.................. जनपद–........................हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ई–टेण्डर पोर्टल "http://etender.up.nic.in" पर ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा का शुल्क रू0 .... जमा करते हुये निविदा डाली जा सकेगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)

10. धरोहर राशि –

10.1. निविदादाता को ई–टेण्डर के साथ नीचे दिए गए विवरणानुसार धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। उक्त धरोहर धनराशि ई–टेण्डर नोटिस में दिये गये विवरणानुसार जमा की जायेगी तथा ई–टेण्डर के साथ उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा।

"अ श्रेणी" के ठेकेदार हेतु –रू–100000/– प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

"ब श्रेणी" के ठेकेदार हेतु –रू–60000/– प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

हैण्डलिंग कार्य हेतु –रू–30000/– प्रति केंद्र की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

10.2. असफल निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के यथासम्भव 01 माह के भीतर वापस कर दिया जायेगा।

11. प्रतिभूति राशि –

11.1. अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता रखने वाले ठेकेदारों को एक माह के बिल के समतुल्य धनराशि जमा करनी होगी।

11.2. 'ब श्रेणी' के ठेकेदारों एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों के मामले में अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता न रखने वाले ठेकेदारों को दो माह के बिल के समतुल्य धनराशि जमा करनी होगी।

11.3. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता को निर्धारित प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करते हुये निविदा की धरोहर धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

12. निविदा प्रस्तुत करना –

12.1. निविदा दो भागों अर्थात तकनीकी बिड और वित्तीय बिड में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

12.2. निविदा दस्तावेज की प्रति ऑनलाइन अपलोड की जायेगी तथा इसके हर पृष्ठ पर निविदादाता के सीलयुक्त हस्ताक्षर होंगे। निविदादाता को विधिवत हस्ताक्षरित सहायक दस्तावेजों के साथ निविदा दस्तावेज (वित्तीय बिड को छोड़कर) स्कैन करके पोर्टल में अपेक्षित स्थानों पर अपलोड करना होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

12.3. तकनीकी बिड में निम्नलिखित शामिल होंगे —

- 12.3.1. परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न आवेदन पत्र।
- 12.3.2. आर0एफ0पी0 के सभी संलग्न परिशिष्ट प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित।
- 12.3.3. 'ब' श्रेणी ठेकेदार की स्थिति में परिशिष्ट–IV पर संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र।
- 12.3.4. धरोहर राशि जमा विवरण रसीद सहित।
- 12.3.5. परिशिष्ट–V में प्रारूप के अनुसार दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति।

12.4. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 / ऑनलाइन के माध्यम से विभागीय बैंक खाते में जमा की जायेगी, जिसकी रसीद / साक्ष्य अपलोड करनी होगी।

12.5. अपूर्ण भरे होने पर एवं बिना डिजिटल सिग्नेचर की प्राप्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

12.6. निविदा में निविदादाताओं द्वारा किसी प्रकार की कन्डीशन (शर्त) का उल्लेख किया जाना वर्जित है।

12.7. निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

12.8. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत तथा आमंत्रित निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12.9. निविदादाता को ब्लाकवार अलग–अलग निविदा देनी होगी। एक निविदा फार्म पर एक से अधिक ब्लाक के कार्य के लिये निविदा मान्य नहीं होगी और वह अस्वीकृत कर दी जायेगी।

12.10. निविदादाता को बी0ओ0क्यू0 (BOQ) के माध्यम से वित्तीय बिड (Financial Bid) अपेक्षित स्थान पर अपलोड करना होगा। इस हेतु सैम्पल प्रारूप **परिशिष्ट–VI** के रूप में संलग्न है।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

13. निविदाओं का परीक्षण –

13.1. निविदाओं के मूल्याँकन हेतु संभाग स्तर पर निम्न निविदा समिति का गठन किया जाएगा–

i.	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक	– अध्यक्ष
ii.	सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य)	– सदस्य
iii.	सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी	– सदस्य
iv.	संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य)	– सदस्य
v.	मण्डल मुख्यालय के जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	– सदस्य

13.2. सर्वप्रथम तकनीकी निविदाओं का मूल्याँकन किया जाएगा तथा आर०एफ०पी० में निर्धारित तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिडों को ही खोला जाएगा।

13.3. यदि टेण्डर में प्राप्त एल–1 की प्रस्तावित दर, शिड्यूल की दर से 10 प्रतिशत उच्च सीमा तक आती है, तो सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एल–1 की दर को, औचित्य का परीक्षण कर स्वीकृत कर सकेंगें।

13.4. यदि टेण्डर में प्राप्त एल–1 की प्रस्तावित दर शिड्यूल की दर से 10 प्रतिशत उच्च सीमा से और अधिक आती है, तो मण्डलायुक्त से औचित्य का परीक्षण कराकर दरों की स्वीकृति प्राप्त कर एल–1 ठेकेदार की नियुक्ति सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कर सकेंगें।

13.5. एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल–1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लॉक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक केन्द्रों/क्षेत्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल–1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल–1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। जिन वाहनों के सेट के आधार पर ठेकेदार को किसी ब्लॉक का ठेका प्राप्त हो जाता है तो उन वाहनों को किसी अन्य ब्लॉक के टेण्डर डालने में अंकित/प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

14. ठेकेदार का उत्तरदायित्व –

14.1. सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्थान्तर्गत ब्लाकवार ठेकेदार नियुक्त किया जायेगा, जो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का खाद्यान्न परिवहन कराकर सीधे उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक निर्धारित मार्ग से पहुँचायेगा एवं उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर अनलोडिंग कराते हुये तौल सहित खाद्यान्न प्राप्त कराने का कार्य करेगा।

14.2. निविदादाता हेतु ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं के ट्रकों एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की न्यूनतम अनिवार्यता निम्नवत् होगी, जिनकी क्षमता विभाग द्वारा संलग्न किये गये विवरण के अनुसार मान्य होगी (ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाहनों की संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार कम/अधिक भी हो सकती है) :–

क्र0	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता		स्वयं के छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनिवार्यता (03 टन से लेकर 09 टन से कम तक की भार क्षमता वाले)		स्वयं के कुल वाहनों की अनिवार्यता	
		"अ" श्रेणी के ठेकेदार	"ब" श्रेणी के ठेकेदार	"अ" श्रेणी के ठेकेदार	"ब" श्रेणी के ठेकेदार	"अ" श्रेणी के ठेकेदार	"ब" श्रेणी के ठेकेदार
1	6000 कु0 तक	2	1	1	–	3	1
2	6001 से 10,000 कु0 तक	3	1	1	1	4	2
3	10001 से 14,000 कु0 तक	4	2	2	1	6	3
4	14,000 कु0 से अधिक	5	2	3	2	8	4

उपरोक्त तालिका में वर्णित वाहनों के अतिरिक्त, वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वाहनों का ब्लाकवार, क्षमतावार एवं संख्यावार पूर्ण विवरण ई–टेण्डर आमंत्रित करते समय **परिशिष्ट–VII** में दिया जायेगा, जिसके अनुसार ट्रकें/वाहन उपलब्ध कराने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा तथा यदि ठेकेदार को किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ठेकेदार द्वारा टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर किराये के ट्रक/वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि किरायेनामे सहित उपलब्ध कराने होगें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,

14.3. उपरोक्त तालिकाओं में अंकित ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनिवार्यता के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत बड़े एवं छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या कम/अधिक भी हो सकती है, जिनकी क्षमता एवं संख्या के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सम्बन्धित ब्लॉक के ठेकेदार को अवगत कराया जायेगा एवं सम्बन्धित ब्लॉक का ठेकेदार उसे उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

14.4. सिंगल स्टेज परिवहन योजना के प्रत्येक ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग द्वारा चयनित जी0पी0एस0 सेवा प्रदाता से स्वयं तथा किराये के प्रत्येक वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। सेवा प्रदाता का कार्य वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगाना, उसका मेनटेनेन्स व उसकी कन्ट्रोलिंग भी करना होगा। इस मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से समायोजित करते हुये, सेवा प्रदाता को की जायेगी। खाद्यान्न का परिवहन अनिवार्य रूप से जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से ही कराया जायेगा तथा जी0पी0एस0 के रख–रखाव/मेनटेनेन्स का उत्तरदायित्व ठेकेदार का भी होगा।

14.5. छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की भार क्षमता 03 टन से लेकर 09 टन से कम तक होगी।

14.6. ब्लॉकवार आवंटन/आवश्यकता के अनुसार बड़े एवं छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता एवं संख्या का स्पष्ट आंकलन संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) द्वारा किया जायेगा तथा उसे टेण्डर नोटिस में अंकित किया जायेगा।

14.7. छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता एवं संख्या का आंकलन/निर्धारण भा0खा0नि0 डिपो की लोडिंग क्षमता एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर खाद्यान्न के उठान के दृष्टिगत किया जायेगा।

14.8. ठेकेदार द्वारा टेण्डर में दिये गये किसी वाहनों में से यदि कोई वाहन (खराब होने अथवा अन्य किसी कारण आदि से) बदलने की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा वाहन बदला जा सकेगा।

14.9. निविदादाता को स्वयं के ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहन के नम्बर, उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि अभिलेख परिवहन विभाग के मानक के अनुसार निविदा डालते समय ही अपलोड करने होगें। टेण्डर डालते समय समस्त अभिलेख वैध होने चाहिए तथा समयान्तर्गत अभिलेखों के नवीनीकरण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

14.10. ठेकेदार द्वारा किराये पर लगाये गये ट्रक/वाहन को 01 साल के लिये अनिवार्य रूप से किराये पर लिया जाना होगा एवं विभाग द्वारा वांछित ट्रक/वाहन (उनके किरायेनामे सहित) टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर, ठेकेदार द्वारा वाहन के नम्बर, उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि अभिलेख परिवहन विभाग के मानक के अनुसार विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। ट्रक/वाहन के समस्त अभिलेख वैध होने चाहिए तथा समयान्तर्गत अभिलेखों के नवीनीकरण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

14.11. सिंगल स्टेज ठेकेदार को उचित दर विक्रेता के यहाँ खाद्यान्न प्राप्त कराने हेतु खाद्यान्न की तौलाई हेतु प्रत्येक ट्रक/वाहन पर न्यूनतम 50 कि0ग्रा0 का इलेक्ट्रानिक कांटा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परिवहनकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाकर सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं तक परिवहन कार्य (तौल/लोडिंग/अनलोडिंग एवं समस्त प्रकार के हैण्डलिंग व अन्य चार्जेज सहित) स्वीकृत दर पर किया जायेगा।

14.12. निविदा में निविदादाता द्वारा सी0वी0सी0 (CVC) की गाइडलाइन एवं प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (Procurement Manual) का पूर्ण पालन किया जायेगा।

14.13. हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेके के कार्य हेतु कार्य आवंटन आदेश सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर योगदान कर कार्य प्रारम्भ करना होगा, अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14.14. अनुबन्ध पत्र पर नियमानुसार देय स्टैम्प ड्यूटी ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

14.15. जनपद के अन्दर संचरण के साथ–साथ रैक से प्राप्त खाद्यान्न/बोरा के संचरण तथा अर्न्तजनपदीय संचरण हेतु सड़क परिवहन के दौरान अनुमन्य सीमा से अधिक लोडिंग के लिये परिवहन ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

14.16. उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न की पावती प्राप्त कर प्रेषण प्रभारी को पावती उपलब्ध कराने के पश्चात् ही ठेकेदार का कार्य पूर्ण माना जायेगा।

14.17. ठेकेदार को ट्रक/वाहन द्वारा तय की गयी वास्तविक तय दूरी तथा कुल वजन/मात्रा का भुगतान किया जायेगा। अर्थात यदि कोई ट्रक एक दिन में 03 कोटेदार का खाद्यान्न लेकर चलता है, तो उसे तीसरे एवं अन्तिम कोटेदार की दुकान तक पहुंचने में तय की गयी कुल वास्तविक दूरी या जी0पी0एस0 द्वारा दर्शायी गयी दूरी (जो न्यूनतम होगी) तथा कुल मात्रा (जो ठेकेदार द्वारा भा0खा0नि0 से लोड की गयी होगी), का भुगतान किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

14.18. हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता के पास उपलब्ध ई–पॉस मशीन/मोबाईल ऐप पर "कन्साईनमेण्ट" की प्राप्ति रसीद देनी होगी।

14.19. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन पर "राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न" बड़े शब्दों में लिखा जायेगा, जिन स्थानों के लिये खाद्यान्न जा रहा है, उसका नाम तथा शिकायत निवारण हेतु विभागीय ट्रोल फ्री नम्बर भी ट्रक पर इस प्रकार लिखा जायेगा कि आम जनमानस इसे आसानी से देख सके।

14.20. ठेकेदार को शासनादेशानुसार खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि परिवहन ठेकेदार प्रत्येक ट्रिप हेतु आवश्यक भार क्षमता का वाहन लगा सके। ठेकेदारों को शासनादेशानुसार बड़े तथा छोटे–हल्के वाहनों की आवश्यकता की सूची टेण्डर के समय ही उपलब्ध करायी जायेगी एवं ठेकेदार को आवश्यकतानुसार वांछित बड़े ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाहनों से खाद्यान्न/चीनी की आपूर्ति भी उचित दर विकेताओं को करनी होगी।

14.21. सिंगल स्टेज ठेकेदार द्वारा प्रत्येक दुकान तक खाद्यान्न डिलीवरी समय से की जायेगी, यदि किन्ही कारणों से ट्रक द्वारा निर्धारित राशन विकेता तक खाद्यान्न पहुंचने में देरी होती है, तो ठेकेदार द्वारा इसकी स्पष्ट सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को देनी होगी तथा देरी का स्पष्ट कारण भी उल्लिखित करेगें। यदि विलम्ब अप्रत्याशित है तथा खाद्यान्न की मात्रा में कोई कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी। यदि कोई ठेकेदार खाद्यान्न की कालाबाजारी में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

14.22. सिंगल स्टेज ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह उचित दर विकेता द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न की प्राप्ति सम्बन्धित डिस्पैच प्रभारी को उपलब्ध करायेगा।

14.23. भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न निर्गत होते ही भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर तैनात प्रेषण प्रभारी द्वारा निकासी की रियल टाइम फीडिंग ऑनलाइन की जायेगी तथा वाहन चालक को प्रदत्त टी0सी0डी0सी0 में ऑनलाइन डिस्पैच आई0डी0 का अंकन किया जायेगा।

14.24. उचित दर विकेताओं को पूर्ण बोरे में खाद्यान्न की प्राप्ति करायी जानी होगी, जिसके अन्तर्गत उचित दर विकेताओं को उनके आवंटन के सापेक्ष पूर्ण बोरों में खाद्यान्न के वजन के आधार पर, आवंटित खाद्यान्न की प्राप्ति हो सके। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उचित दर विकेता का आवंटन 50.25 कु0 या अधिक है, तो उसे 50.50 कु0 खाद्यान्न की प्राप्ति करा दी जायेगी एवं किसी उचित दर विकेता का आवंटन 50.25 कु0 से कम है, तो उसे 50.00 कु0 खाद्यान्न की प्राप्ति करायी जायेगी। सम्बन्धित उचित दर विकेता को कम या अधिक प्राप्त हुये खाद्यान्न का समायोजन अगले माह प्राप्त कराये जाने वाले खाद्यान्न से करा लिया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

14.25. पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी के पाटनर्स / सदस्यों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स / कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत विधिमान्य प्रमाण-पत्र / अभिलेख / डीड ही मान्य होगें, अन्यथा कि स्थिति में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

14.26. उक्त के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार समय-समय पर शासन एवं आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश मान्य होगें। साथ ही सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के कियान्वयन एवं टेण्डर हेतु विभाग में प्रचलित शासनादेश संख्या-मु0अ0.34 / 29-6-2021-85 सा / 2017 दिनांक-09.03.2021 (यथा संशोधित), शासनादेश संख्या-878 / 29-6-2021-85सा / 17 दिनांक-14.06.2021 (यथा संशोधित), शासनादेश संख्या-1555 / 29-6-2021 दिनांक 03.09.2021 के संगत प्राविधान तथा समय-समय पर प्रचलित शासनादेशों द्वारा निर्गत नीति तथा परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों नियुक्ति हेतु निर्धारित समस्त प्राविधान, उपबन्ध, निर्देश, नियम व शर्तें लागू होगीं।

15. टेण्डर हेतु शिड्यूल दरें :-

15.1. सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत (हैण्डलिंग कार्यादि सम्मिलित) शिड्यूल व दरें निम्नवत् होगी :-

क्र0	स्लैब	दर
1.	0-08 किमी0	रू0 24.64 प्रति कु0
2.	08-20 किमी0	स्लैब संख्या-01 के अतिरिक्त रू0 1.17 प्रति कु0 प्रति कि0मी0
3.	20-40 किमी0	स्लैब संख्या-02 के अतिरिक्त रू0 0.93 प्रति कु0 प्रति किमी0
4.	40-80 किमी0	स्लैब संख्या-03 के अतिरिक्त रू0 0.77 प्रति कु0 प्रति कि0मी0
5.	80 किमी0 से अधिक दूरी हेतु	स्लैब संख्या-04 के अतिरिक्त रू0 0.63 प्रति कु0 प्रति कि0मी

15.2. हैण्डलिंग कार्य हेतु ठेकेदार को प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत भुगतान देय होगा।

15.3. परिवहन कार्य में तौल / लोडिंग / अनलोडिंग एवं समस्त प्रकार के हैण्डलिंग व अन्य चार्जेज सम्मिलित हैं।

16. भुगतान -

16.1. टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा ठेकेदार का पंजीकरण विभाग के ऑनलाइन सप्लाई चेन माड्यूल पर किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकरण संख्या / लॉगिन आई0 डी0 आदि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

16.2. ऑनलाइन सप्लाई चेन पेमेन्ट मॉड्यूल के अन्तर्गत ठेकेदार के द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी0 से पी0डी0एस0 ब्लाकवार/डिपोवार/माहवार बिल स्वीकृत दर के अनुसार जनरेट किये जायेगें, जिनका नियमानुसार एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के अनुमोदनोपरान्त भुगतान सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी के द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं विभागीय प्रकियाओं को पूर्ण कराते हुये उक्त मॉड्यूल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किया जायेगा। सम्भागीय लेखा कार्यालय में बिलों की ऑनलाइन प्राप्त प्रतियॉ सुरक्षित रखी जायेगीं।

16.3. ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन बिलों के साथ ई0एस0आई0 तथा ई0पी0एफ0 आदि के रिटर्न की प्रतियों स्कैन कॉपी मॉड्यूल पर अपलोड की जायेगी।

16.4. ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि समाप्त होने के 02 माह के भीतर अपने सभी बिल विभाग को प्रस्तुत करने होगें, ताकि प्रतिभूति धनराशि का निस्तारण शीघ्रता से किया जा सके।

16.1. ठेका अवधि समाप्त होने के उपरान्त तथा अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा सभी दायित्वों को पूरा करने पर एवं ठेकेदार के सम्बन्ध में समस्त अदेयता प्राप्त होने के उपरान्त यथासम्भव 01 माह के भीतर प्रतिभूति धनराशि ठेकेदारों को वापस करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

16.2. ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई भी देयता होने की स्थिति में –

- ठेकेदार के पूर्व/वर्तमान बिलों से देयता की धनराशि का समायोजन किया जा सकेगा।
- सम्पूर्ण देयता का समायोजन न हो पाने की दशा में ठेकेदार की जमा प्रतिभूति धनराशि से वसूली की जा सकेगी।
- उक्त के पश्चात् भी ठेकेदार के ऊपर यदि कोई देयता अवशेष रह जाती है, तो ठेकेदार के उस सम्भाग में अन्य किसी भी कार्य के बिलों/जमा प्रतिभूति धनराशि से वसूली की जा सकेगी।
- उपरोक्त स्थिति के पश्चात् भी देयता बनने की दशा में प्रदेश में ठेकेदार द्वारा किये गये किसी भी कार्य के बिलों/जमा प्रतिभूति धनराशि से वसूली की जा सकेगी।

17. निविदा की शर्तों का उल्लंघन एवं कार्यवाही –

17.1. सफल निविदादाता द्वारा टेंडर की सभी शर्तो का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा की शर्तों के उल्लंघन की दशा में विभाग ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

17.2. ठेकेदार को प्रदत्त ठेका निरस्त करने/ब्लैक लिस्ट करने में अन्य कारणों के साथ–साथ निम्न कारण भी हो सकते है :–

- फर्जी अथवा गलत प्रमाण–पत्र व अन्य अभिलेख प्रस्तुत करना।
- शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र में अंकित सूचना असत्य अथवा अपूर्ण जाने की स्थिति में।
- टेण्डर स्वीकार होने के उपरान्त असन्तोषजनक कियान्वयन करना।
- समय से परिवहन अथवा हैण्डलिंग कार्य न करना।
- वांछित प्रतिभूति की धनराशि जमा न करना।
- पर्याप्त मात्रा में श्रमिक (लेबर) अथवा स्टाफ न रखना।
- खाद्यान्न की कालाबाजारी/डायवर्जन आदि में लिप्त पाया जाना।
- पर्याप्त मात्रा में ट्रक व अन्य वांछित वाहन उपलब्ध न करा पाना।
- आपराधिक इतिहास पाया जाना।
- कार्य स्वयं न कर Sublet करना अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया जाना।
- कार्य संचालन में आपराधिक व्यक्तियों को नियोजित करना।

17.3. किसी भी प्रकार उल्लंघन पाये जाने की दशा में यदि ठेका/आवेदन को निरस्त/अस्वीकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा इस हेतु सभी कारण लिखित में प्रस्तुत किये जायेगें।

17.4. ठेकेदार को प्रदत्त ठेका सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निलम्बित/निरस्त किया जा सकता है। ठेका निरस्त करने के आदेश करने के पूर्व ठेकेदार को 'कारण बताओ नोटिस' देते हुये सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

17.5. परिवहन के दौरान खाद्यान्न की क्षति/कमी होने की दशा में परिवहन ठेकेदार से खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति की वसूली/कटौती उसी माह ठेकेदार के लम्बित बिल/विपत्रों से निम्न प्रकार से की जायेगी :–

- एक पूरे बोरे की हानि होने पर–आर्थिक लागत मूल्य का दोगुणा।
- एक बोरे में 25 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर– आर्थिक लागत मूल्य का डेढ़गुणा।
- एक बोरे में 25 प्रतिशत या इससे कम हानि होने पर–आर्थिक लागत मूल्य के समतुल्य।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

17.6. यदि ठेकेदार द्वारा हैण्डलिंग/परिवहन व डोर स्टेप डिलीवरी आदि का कार्य नहीं किया जाता है, तो विभाग द्वारा उसके 'रिस्क एण्ड कास्ट' पर कार्य करा लिया जायेगा तथा कराये गये कार्य की लागत धनराशि से दो गुनी धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

17.7. रोस्टर के सापेक्ष विलम्ब से खाद्यान्न उठान करने की स्थिति में हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार से रू0 05/- प्रति कुन्तल प्रतिदिन की दर से 'पेनाल्टी' बतौर राशि केन्द्र प्रभारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी व जिला खाद्य विपणन अधिकारी की गुण-दोष के आधार पर प्रेषित संस्तुति पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सम्भागीय लेखाधिकारी द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के अनुमोदनोपरान्त वसूल की जायेगी।

17.8. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्थान्तर्गत नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता की दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी न करने की स्थिति में ठेकेदार से गुणदोष के आधार पर वसूली की जायेगी :-

क्र0	विवरण	कार्यवाही
1.	यदि ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता की दुकान हेतु निर्धारित जियो फेन्स से 1000 मीटर तक की दूरी पर खाद्यान्न की प्राप्ति दिये जाने पर।	रू0 500/- प्रति वाहन/कन्साइनमेण्ट के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती की जायेगी।
2.	01 कि0मी0 से 03 कि0मी0 तक की दूरी पर खाद्यान्न की प्राप्ति दिये जाने पर।	रू0 1000/- प्रति वाहन/कन्साइनमेण्ट के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती की जायेगी।
3.	03 कि0मी0 से 05 कि0मी0 तक की दूरी पर खाद्यान्न की प्राप्ति दिये जाने पर।	रू0 2000/- प्रति वाहन/कन्साइनमेण्ट के आधार पर धनराशि की वसूली/ कटौती की जायेगी।
4.	05 कि0मी0 तक की दूरी से भी अधिक पर।	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नोटिस /स्पष्टीकरण आदि निर्गत करते हुये ठेकेदार की प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा गुण-दोष के आधार पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/निलम्बन/ब्लैक लिस्टिंग आदि कार्यवाही की जायेगी।

17.9. चूंकि जी0पी0एस0 पोर्टल तथा विभागीय सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट पोर्टल आपस में 'इन्टीग्रेटेड' होगें, अतः बिन्दु संख्या-17.8 पर उल्लिखित उल्लंघनों की स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत कटौतियों का प्राविधान उपलब्ध होगा, परन्तु किसी भी प्रकार की कटौती करने से पूर्व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा ठेकेदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि किसी ठेकेदार को उपरोक्त के सम्बन्ध में दिये गये दण्ड हेतु कोई आपत्ति होगी, तो उसके द्वारा 15 दिवस के भीतर खाद्यायुक्त के स्तर पर अपील प्रस्तुत करनी होगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

17.10. परिवहनकर्ता को सौपें गये निर्धारित मात्रा के अनुसार एवं समान गुणवत्ता का खाद्यान्न/स्टाक गन्तव्य स्थान पर पहुँचाना अनिवार्य होगा। खाद्यान्न/स्टाक की मात्रा एवं गुणवत्ता में किसी तरह की मिलावट या अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर घटित हानि की वसूली हेतु हर सम्भव वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही परिवहनकर्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये हानि की वसूली उसके बिलों/जमा प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुये, अवशेष हानि (धनराशि) की वसूली भू–राजस्व संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

17.11. ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर (यथा संशोधित) सभी नियमों और विनियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत अपने दायित्वों के विचलन की स्थिति यदि विभाग की किसी प्रकार की देनदारी बनती है, तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा ठेकेदार की देनदारी को प्रतिभूति धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा एवं प्रतिभूति की अवशेष धनराशि को विभाग के पक्ष में जब्त करते हुये ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी। विभागीय देनदारी की धनराशि प्रतिभूति धनराशि से अधिक होने की स्थिति में अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

17.12. ठेका प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदारों को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा दिये गये निर्देशानुसार में जी0पी0एस0 लगवाये जाने हेतु प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के भीतर वांछित ट्रक/वाहन उपलब्ध कराने होगें। यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में विभाग द्वारा वांछित ट्रक/वाहन (जिसमें छोटे वांछित वाहन भी सम्मिलित हैं) उपलब्ध न कराते हुये जी0पी0एस0 नहीं लगवाया जाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :–

क्र0	विवरण	कार्यवाही
1.	ठेकेदार द्वारा यदि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा दी गयी निर्धारित अवधि के पश्चात् 03–07 दिन तक वांछित ट्रक/वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।	रू0 1000/– प्रति दिन प्रति ट्रक/वाहन के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती की जायेगी।
2.	07 से 15 दिन तक	रू0 2000/– प्रति दिन प्रति ट्रक/वाहन के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती की जायेगी।

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

3.	15 दिन के पश्चात् भी यदि वांछित ट्रक/वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नोटिस/स्पष्टीकरण आदि निर्गत करते हुये ठेकेदार की प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा गुण–दोष के आधार पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/निलम्बन/ब्लैक लिस्टिंग आदि कार्यवाही की जायेगी।

17.13. खाद्यान्न के उठान/प्रेषण में प्रयुक्त जी0पी0एस0 युक्त ट्रक/वाहन में सम्बन्धित ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि/ड्राइवर आदि द्वारा जी0पी0एस0 से यदि कोई छेड़छाड़ (Tampering) या गड़बड़ी आदि की जाती है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से रू0 5000/– प्रति जी0पी0एस0 की दर से वसूली की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेगें।

17.14. यदि किसी वाहन का जी0पी0एस0 ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि/ड्राइवर आदि द्वारा जानबूझकर कर खराब/क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तो जी0पी0एस0 के मूल्य के समतुल्य धनराशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेगें।

17.15. यदि हैण्डलिंग/परिवहन ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान उसके किसी ट्रक के डाइवर्जन/कालाबाजारी का प्रकरण पाया जाता है, तो उसका ठेका/अनुबन्ध तत्काल निलम्बित करते हुये ठेकेदार के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराकर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी एवं उसके अनुबन्ध निरस्तीकरण एवं ब्लैक लिस्टिगं की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17.16. यदि कोई ठेकेदार अथवा निविदादाता किसी अन्य निविदादाता को निविदा प्रकिया में सम्मिलित होने से रोकता या डराता/धमकाता है, तो दोषी ठेकेदार/निविदादाता की निविदा/आंवटित कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

17.17. यदि हैण्डलिंग/परिवहन ठेकेदार द्वारा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, अपराध, मारपीट, अथवा धमकी दी जाती है, तो ठेकेदार का अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

18. शिकायतों का निस्तारण –

तकनीकी बिडों के निरस्त किये जाने से सम्बन्धित एवं टेण्डर से सम्बन्धित शिकायतों हेतु अपीलार्थी द्वारा एक सप्ताह के भीतर मण्डलायुक्त को अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मण्डलायुक्त द्वारा यथा सम्भव एक सप्ताह के भीतर अपील का निस्तारण किया जायेगा एवं विशेष परिस्थितियों में 15 कार्यदिवस में अनिवार्य रूप से अपील पर निर्णय लिया जायेगा।

19. निविदादाता का कर्मियों के प्रति दायित्व –

19.1. ठेकेदार को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर (यथा संशोधित) सभी नियमों और विनियमों/अधिनियमों का पालन करना होगा।

19.2. भारतीय फैक्टरी अधिनियम/कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम/कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा अन्य समस्त लागू प्राविधिक अधिनियमों के अन्तर्गत, ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी कर्मियों के, सभी अधिकार और देनदारियां स्वयं ठेकेदार की होगी।

19.3. उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर कार्यवाही की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

19.4. ठेकेदार द्वारा अपने बिलों के साथ ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 रिटर्न की कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा।

20. अप्रत्याशित घटना –

ठेकेदार उन स्थितियों में अनुबन्ध के निष्पादन में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उनके नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न हुयी हों। ऐसी स्थितियों में निर्णय हेतु सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अधिकृत होंगे।

ठेकेदारों और उनके श्रमिकों/कार्मिकों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के कारण
ठेकेदारों के श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को ठेकेदार के नियंत्रण से
बाहर का कारण नहीं माना जाएगा और इससे विभाग को होने वाले किसी भी नुकसान
या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदारों द्वारा किसी
तरह की हड़ताल की जाती है अथवा सम्मिलित हुआ जाता है, जिससे विभाग का कार्य
प्रभावित हो, तो ऐसी स्थिति में भी विभाग को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के
लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन

21. परिभाषाएँ –

21.1. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी से तात्पर्य केन्द्रीयपूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित विभिन्न गोदामों से निर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का सीधे उचित दर विक्रेता की दुकान तक परिवहन एवं हैण्डलिंग किये जाने से है।

21.2. भारतीय खाद्य निगम गोदाम का तात्पर्य भा0खा0नि0, सी0डब्लू0सी0, एस0डब्लू0सी0, पी0ई0जी0 एवं समस्त ऐसे बफर गोदाम से है, जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न संग्रहीत किया गया है।

21.3. सीजनल कार्य का तात्पर्य धान/गेहूँ/मक्का/ज्वार/बाजरा/कोदो आदि के क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये उत्पादों की हैण्डलिंग का कार्य।

21.4. पार्टनरशिप फर्म का तात्पर्य पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स में पंजीकरण होने तथा कम्पनी का तात्पर्य – कम्पनी एक्ट 1956 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत पंजीकृत होने से है।

21.5. वाणिज्यिक वाहन से तात्पर्य है, जो परिवहन विभाग में वाणिज्यिक (कमर्शियल) कार्य हेतु पंजीकृत हों।

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट – I

सम्भाग का नाम :– ....

(तकनीकी बिड)

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्थान्तर्गत भा0खा0नि0, सी0डब्लू0सी0, एस0डब्लू0सी0/बफर गोदामों व अन्य नियत स्थान से खाद्यान्न/चीनी आदि का उठान करते हुये उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक पहुंचाने हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य का आवेदन।

वित्तीय वर्ष 20.........

नवीनतम पासपोर्ट साइज का स्व प्रमाणित फोटो

1– जनपद का नाम– ....
2– ब्लाक/केन्द्र का नाम– ....
3– निविदादाता का नाम– ....
4– निविदादाता का आधार नम्बर– ....
5– निविदादाता का मोबाइल नं0– ....
6– निविदादाता का ई–मेल– ....
7– निविदादाता के बैंक ....
का नाम, पता, एकाउण्ट नम्बर ....
व आई.एफ.एस. कोड– ....
8– निविदा शुल्क– .... (रसीद अपलोड करें)
9– धरोहर धनराशि– .... (रसीद अपलोड करें)
10–तकनीकी बिड हेतु– संगत अभिलेख/प्रमाण पत्र अपलोड करें
i. पत्र व्यवहार का पता– ....
(प्रमाण पत्र सहित)
ii. स्थायी पता– ....
(प्रमाण पत्र सहित)
iii. स्वयं के ट्रकों व वाणिज्यिक छोटे वाहन के पंजीकरण नम्बर तथा क्षमता –

ट्रकों के पंजीकरण नम्बर एवं क्षमता ....

छोटे वाहन के पंजीकरण नम्बर एवं क्षमता –.....

iv. अनुभव का विवरण ....
v. हैसियत, प्रमाण पत्र संख्या
व निर्गमन का दिनांक– ....

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं ...
उत्तर ...

vi. चरित्र प्रमाण पत्र संख्या व
निर्गमन का दिनांक– ....

vii. आयकर विवरणी (जहाँ जो प्राविधान लागू हो के अनुसार)
(आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहाँ लागू हो) एवं कम्पनी की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न) ....

viii. पैन नम्बर– ....

ix. ई.पी.एफ. प्रमाण पत्र संख्या
व निर्गमन का दिनांक – ....

x. ई.एस.आई. प्रमाण पत्र संख्या
व निर्गमन का दिनांक – ....

xi. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संख्या
व निर्गमन का दिनांक– ....

xii. यू0पी0एल0सी0 पंजीकरण संख्या
व दिनांक तथा वैधता दिनांक– ....

xiii. शपथ पत्र – अपलोड करेंगें। (रू0 10/– के स्टाम्प पर)

xiv. घोषणा पत्र – रू 100/– के स्टाम्प पर स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करेगें।

11–मैंने/हमने हैण्डलिंग एवं परिवहन नीति, निविदा की शर्तो/निर्देशों को भली भांति पढ़कर समझ लिया है और मैं/हम इनको स्वीकार करते हुये निविदा दे रहा हूँ/रही हूँ/दे रहे हैं एवं जिसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक–..............................

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम–....................................
पता–..
....

मोहर

(... प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट – II

शपथ पत्र

(रू0 10/– के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मैं, शपथी/शपथिनी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र .... वर्ष निवासी–................ .... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ –

1– यह कि शपथी/शपथिनी शासनादेश संख्या–मु0अ0 34/29–6–2021–85 सा/2017 दिनांक–09.03.2021 (यथा संशोधित), शासनादेश संख्या–878/29–6–2021–85 सा/17 दिनांक–14.06.2021 (यथा संशोधित) तथा शासनादेश संख्या–1555/29–6 –2021 दिनांक–03.09.2021 के सुसंगत प्राविधान तथा परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों हेतु उल्लिखित/निर्धारित समस्त शर्तो को पूरा करता है।

2– यह कि शपथी/शपथिनी स्वयं/पार्टनरशिप फर्म/अथवा कम्पनी के रूप में स्वयं की .... संख्या एवं .... क्षमता की ट्रकें एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहन स्वयं के .... संख्या एवं .... क्षमता का स्वामित्व रखता/रखती है तथा शपथी/शपथिनी द्वारा इस संबंध में निहित शर्तों को पूर्ण करने का शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

3– जनपद–.................... ब्लाक–....................... का टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा बताये गये विवरण के अनुसार शपथी/शपथिनी द्वारा वांछित किराये के वाहन (उल्लिखित संख्या एवं क्षमता के अनुसार) 15 दिन के भीतर पूर्ण विवरण, अभिलेख एवं किरायेनामे सहित उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि शपथी/शपथिनी द्वारा विभागीय विवरण के अनुसार किराये के वाहन टेण्डर प्राप्ति के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

4– यह कि शपथी/शपथिनी को यदि भविष्य में विभाग द्वारा किसी भी समय विभागीय आवश्यकतानुसार बड़े/ छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की आवश्यकता बतायी जाती है, तो शपथी/शपथिनी स्वयं/पार्टनरशिप फर्म/अथवा कम्पनी उसे उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है, जिसमें मुझे/हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

5– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के रूप में पार्टनरों एवं सदस्यों की पूर्ण सूचना आवेदन के साथ संलग्न की गयी है तथा शपथी/शपथिनी की पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी नियमानुसार रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स /कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है एवं सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के अभिलेख भी आवेदन के साथ संलग्न हैं। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/ टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

6– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पार्टनरशिप फर्म/क़म्पनी के रूप में पार्टनरों एवं सदस्यों में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, तो उसे रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत परिवर्तित कराकर, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत विधिमान्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र/डीड सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को समयान्तर्गत दिये जाने हेतु बाध्य है, यदि समयान्तर्गत शपथी/शपथिनी द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत रजिस्टर्ड/विधिमान्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र/डीड की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को समयान्तर्गत नहीं दी जाती है, तो शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

7– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा आधार नम्बर, अनुभव प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण –पत्र, आयकर विवरणी (निविदा की शर्तो/अर्हता के प्राविधानानुसार आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहाँ लागू हो) एवं कम्पनी की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न), पैन, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 के संबंध में आवश्यक तथा विधिमान्य अभिलेखों को (जो निविदा के शर्तो/अर्हताओं के प्राविधान के अनुसार वांछित हैं) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

8– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा स्वयं/फर्म के एकल स्वामित्व/भागीदारों/कम्पनी के प्रबंध निदेशक तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

9– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा प्रचलित शासनादेशों/प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत व्यक्ति व फर्म के सभी साझीदारों तथा एक स्वामी एवं व्यक्ति के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जो आवेदन की तिथि को वैध/शासन द्वारा अनुमन्य अवधि से अधिक पुराना नहीं है।

10–यह कि यदि शपथी/शपथिनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति संज्ञान में आती है या किसी भी समय कोई ऐसा तथ्य या विवरण का छिपाया जाना प्रकाश में आता है, तो शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

11–यह कि आवेदक/शपथी/शपथिनी/व्यक्ति/भागीदार/निदेशक/फर्म/कम्पनी निविदा हेतु निर्धारित समस्त शर्तो को पूर्ण करता/करती है, जिसके गलत होने अथवा पूर्ण न होने पर अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

12—यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करते/करता/करती हूँ कि मेरे/फर्म/कम्पनी कहीं भी ब्लैक लिस्ट नहीं है एवं और न ही मेरे/फर्म/कम्पनी/उसके किसी भी पार्टनर के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही प्रचलन में है। यदि कहीं भी ऐसा पाया जाता है, तो अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

13—यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करते/करती हूँ कि ठेका स्वीकृति होने के उपरान्त विभाग द्वारा प्रदत्त ठेके को मेरे/हमारे द्वारा निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जायेगा तथा विभाग में नियमानुसार अनुबन्ध एवं प्रतिभूति आदि की समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित किया जायेगा। मेरे/हमारे द्वारा ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा, जिसपर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

14— यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि टेण्डर का कार्य मुझे/हमें आवंटित होने पर उसे किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को "सबलेट" नहीं किया जायेगा।

15— यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र में अंकित वाहनों के संचालन हेतु समस्त प्रकार के कर जमा हैं तथा लाइसेंस/अन्य अभिलेख सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त है।

16—यह कि मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे कार्य आवंटन सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ कर दूँगा/दूँगी।

17—यह कि मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा टेण्डर में सी0वी0सी0 गाइडलाइनों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथी/शपथिनी उपरोक्त सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ—पत्र की धारा—1 से 16 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य व सही है, जिसे मैंनें आज दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर से तस्दीक किया।

दिनाँक :—

स्थान :—

शपथी/शपथिनी

नोटः— प्रोपराईटरशिप फर्म की दशा में प्रोपराइटर एवं भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की दशा में उसके समस्त भागीदारों/निदेशक/सदस्यों द्वारा अलग—अलग शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

घोषणा पत्र

(रू0 100 /– के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

1. यह कि शपथी/शपथिनी शासनादेश संख्या–मु0अ0 34/29–6–2021–85 सा/2017 दिनांक–09.03.2021 (यथा संशोधित), शासनादेश संख्या–878/29–6–2021–85 सा/17 दिनांक–14.06.2021 (यथा संशोधित) तथा शासनादेश संख्या–1555/29–6 –2021 दिनांक–03.09.2021 के सुसंगत प्राविधान तथा परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों हेतु उल्लिखित/निर्धारित समस्त शर्तें मान्य हैं/होगीं।

2. यह कि शपथी/शपथिनी स्वयं/पार्टनरशिप फर्म अथवा कम्पनी के रूप में टेण्डर में वांछित .... संख्या एवं .... क्षमता की ट्रकों तथा .... संख्या एवं .... क्षमता के छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों का स्वामित्व रखता है तथा शपथी/शपथिनी द्वारा इस सम्बन्ध में निहित शर्तों को पूर्ण करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है।

3. जनपद–.................... ब्लाक–...................... का टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा बताये गये विवरण के अनुसार शपथी/शपथिनी द्वारा वांछित किराये के वाहन (उल्लिखित संख्या एवं क्षमता के अनुसार) 15 दिन के भीतर पूर्ण विवरण, अभिलेख एवं किरायेनामे सहित उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि शपथी/शपथिनी द्वारा विभागीय विवरण के अनुसार किराये के वाहन टेण्डर प्राप्ति के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

4. यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा समस्त वांछित एवं विधि मान्य अभिलेखों को आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया गया है।

5. यह कि शपथी/शपथिनी की पार्टनरशिप फर्म ..../कम्पनी .... है, जिसके पार्टनर (पार्टनरशिप फर्म की दशा में) ..../सदस्य (कम्पनी की दशा में) .... हैं। शपथी/शपथिनी की पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी नियमानुसार रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है एवं सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के अभिलेख भी आवेदन के साथ संलग्न हैं तथा जो टेण्डर के समय वैध है।

6. यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के रूप में पार्टनरों एवं सदस्यों में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, तो रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत परिवर्तित कराकर, समक्ष प्राधिकारी के स्तर से निर्गत रजिस्टर्ड/विधिमान्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र/डीड की सूचना समयान्तर्गत सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व शपथी /शपथिनी का होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

7. यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत व्यक्ति व फर्म के सभी साझेदारों तथा एक स्वामी एवं व्यक्ति के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जो आवेदन की तिथि को वैध तथा आवेदन की तिथि से दो वर्ष/शासन द्वारा अनुमन्य अवधि से अधिक पुराना नहीं है।

8. यह कि यदि शपथी/शपथिनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति संज्ञान में आती है या किसी भी समय कोई ऐसा तथ्य या विवरण का छिपाया जाना प्रकाश में आता है, तो मेरा अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका/आवेदन निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति होगी।

9. यह कि आवेदक/शपथी/शपथिनी/व्यक्ति/भागीदार/निदेशक/फर्म/कम्पनी टेण्डर हेतु निर्धारित समस्त शर्तों को पूर्ण करता है, जिसके गलत होने अथवा पूर्ण न होने पर मेरा अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं होगी।

10. यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ठेका स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा प्रदत्त ठेके को मेरे/हमारे द्वारा निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जायेगा तथा विभाग में नियमानुसार अनुबन्ध एवं प्रतिभूति आदि की समस्त वांछित अभिलेख एवं औपचारिकतायें निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूर्ण करते हुये कार्य सम्पादित किया जायेगा। मेरे/हमारे द्वारा ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं होगी।

11. हैण्डलिंग एवं परिवहन नीति एवं टेण्डर की शर्तों में वर्णित अनर्हतायें/कोई प्रतिकूल तथ्य मेरे विरूद्ध लागू नहीं है, यदि इनमें से कोई भी प्रतिकूल तथ्य मेरे विरूद्ध सही पाया जाता है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा तथा विभाग द्वारा मेरा ठेका निरस्त कर दिया जाता है, तो उसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं होगी।

दिनांक –

हस्ताक्षर

आवेदक/घोषणाकर्ता

नोटः– प्रोपराईटरशिप फर्म की दशा में प्रोपराइटर एवं भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की दशा में उसके समस्त भागीदारों/निदेशक/सदस्यों द्वारा अलग–अलग शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट – IV

शपथ पत्र

(पूरे प्रदेश में 02 या उससे कम ब्लाकों पर निविदायें डाले जाने सम्बन्धी)

(रू0 10/– के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मैं, शपथी/शपथिनी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र .... वर्ष निवासी–.............. .... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ :–

1– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पूरे प्रदेश में अधिकतम 02 ब्लाकों पर ही निविदा डाली जा रही है एवं इससे अधिक निविदायें नहीं डाली जायेगी।

2 – यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा किया गया कोई आवेदन असफल हो जाने की दशा के पश्चात् भी प्रदेश में केवल अधिकतम 02 ब्लॉकों की सीमा तक ही आवेदन किया जायेगा।

3 – यह कि यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

सत्यापन

मैं शपथी/शपथिनी उपरोक्त सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ–पत्र की धारा–01 से 02 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य व सही है, जिसे मैनें आज दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर से तस्दीक किया।

दिनाँक :–
स्थान :–

शपथी/शपथिनी

नोट:– प्रोपराईटरशिप फर्म की दशा में प्रोपराइटर एवं भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की दशा में उसके समस्त भागीदारों/निदेशक/सदस्यों द्वारा अलग–अलग शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट – V

तकनीकी निविदा के परीक्षण हेतु चेक लिस्ट

क्र0	चेक प्वाइन्ट	हाँ/नहीं
01.	यू0पी0एल0सी0 में पंजीकरण	
02.	निविदा मूल्य जमा करने की रसीद	
03.	निविदा दस्तावेज एवं अन्य प्रपत्र हस्ताक्षर युक्त हैं अथवा नहीं	
04.	निविदा दाता का बैंक का विवरण (नाम, पता, खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड) इत्यादित है अथवा नहीं	
05.	प्रत्येक निविदा में ट्रकों की संख्या भार वाहन क्षमता सहित (विवरण संलग्न है अथवा नहीं)	
06.	ट्रकों, वाणिज्यिक छोटे वाहन के नम्बर, उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस एवं समस्त प्रकार के अद्यतन टैक्स की रसीद के साथ	
07.	धरोहर धनराशि जमा की स्थिति	
08.	सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	
09.	सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं **(फर्म/कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/पार्टनरर्स के)**	
10.	आधार कार्ड की प्रति संलग्न है अथवा नहीं **(फर्म/कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/पार्टनरर्स के)**	
11.	कार्य अनुभव का विवरण संलग्न है अथवा नहीं	
12.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आयकर रिटर्न आदि की प्रति निविदा के साथ संलग्न है अथवा नहीं	
13.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं शिड्यूल (यदि आवश्यकता हो तो)	
14.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहाँ लागू हो)	
15.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आर0ओ0सी0 रिटर्न (कम्पनी की दशा में) (यदि आवश्यकता हो तो)	
16.	पैन नम्बर की प्रति संलग्न है अथवा नहीं	
17.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ई0एस0ई0 प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गमन दिनांक	
18.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ई0पी0एफ0 प्रमाण पत्र एवं निर्गमन दिनांक	
19.	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	
20.	रू0 10/– के स्टैम्प पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (परिशिष्ट – II) संलग्न है अथवा नहीं पि	
21.	रू0 100/– के स्टैम्प पर घोषण पत्र (परिशिष्ट – III) संलग्न है अथवा नहीं	
22.	'ब' श्रेणी ठेकेदारों की स्थिति में शपथ–पत्र (परिशिष्ट – IV) संलग्न है अथवा नहीं	

39

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

23.	निविदादाता पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स का पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न है अथवा नहीं।	
24.	निविदादाता पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड संलग्न है अथवा नहीं।	
25.	कम्पनी होने के दशा में कम्पनी रजिट्रेशन का प्रमाण–पत्र संलग्न है अथवा नहीं	

(... प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट – VI

वित्तीय बिड हेतु बी0ओ0क्यू0 का सैम्पल प्रारूप

ई–टेण्डर आमंत्रणकर्ता – सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, ... सम्भाग, ... ।

कार्य – सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी

निविदा संख्या – दिनांक–

निविदादाता का नाम – ब्लाक का नाम –

PRICE SCHEDULE (SAMPLE FORMAT)

इस **BOQ** टेम्पलेट को बोलीदाता द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए और इसे प्रासंगिक कॉलम भरने के बाद अपलोड किया जाना चाहिए, अन्यथा बोलीदाता इस निविदा के लिए अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है। बोलीदाताओं को केवल बोलीदाता का नाम और मूल्य दर्ज करने की अनुमति है

क्रम सँख्या	कार्य का विवरण	शिड्यूल दरें	चुने	प्रतिशत
1	2	5		6
1	सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम डिपो से उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य		कम/अधिक	

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट — VII

ट्रकें/छोटे–हल्के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु संलग्न विवरण का प्रारूप

कम सं0	जनपद का नाम	ब्लाक का नाम	ब्लाक का आवंटन	ट्रकों की क्षमता एवं संख्या, जो ब्लाक– .... हेतु उपलब्ध करायी जानी हैं				छोटे–हल्के वाहनों की भार क्षमता एवं संख्या, जो ब्लाक– .... हेतु उपलब्ध करायी जानी हैं	
				09 से 12 टन तक	13 से 18 टन तक	19 से 24 टन तक	25 टन से अधिक तक	03 से 06 टन तक	06 से 09 टन से कम भार क्षमता तक वाले वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6
उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांक – 4190 आ0वि0शा0 / हैण्ड0परि0 / सिंगल स्टेज / नीति / 1318 / 2020

प्रेषक,

अपर आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त / संयुक्त आयुक्त उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक – 07 सितम्बर, 2021

विषय– सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत टेण्डर की शर्तों के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया शासनादेश संख्या–1555 / 29–6–2021 दिनांक–03.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या–878 / 29–6–2021–85 सा0 / 17 दिनांक–14.06.2021 द्वारा निर्गत टेण्डर की शर्तों में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–1555 / 29–6–2021 दिनांक–03.09.2021 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(अनिल कुमार)
अपर आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारी / सम्भागीय लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी / जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(अनिल कुमार)
अपर आयुक्त

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या-1555/29-6-2021

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 03 सितम्बर, 2021

विषय- सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु टेण्डर की शर्तों में संशोधन के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3272 आ0वि0शा0/हैण्ड0/परि0/सिंगल स्टेज/नीति/1318/2020, दिनांक 14-07-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्यान्न की सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी हेतु परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए शासन के पत्र संख्या-878/29-6-2021-85 सा0/17 दिनांक 14-06-2021 के साथ प्रेषित टेण्डर की शर्तों में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विषय</th><th>वर्तमान व्यवस्था</th><th>संशोधित व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>2</td><td>डिजिटल सिग्नेचर के साथ व्यक्ति, फर्म/कम्पनी का खाद्य विभाग/ एन.आई.सी. में पंजीकरण</td><td>ऐसे हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदार, जो निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हैं, को खाद्य विभाग के पोर्टल (fcs.up.gov.in) पर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यह पंजीकरण 02 वर्ष हेतु वैध होगा, तथा उसे निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा कर 02 वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जा सकेगा। श्रेणी वार पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क (देय कर अतिरिक्त) निम्नवत् होंगे:-
<table><tr><th>क्र0</th><th>ठेकेदार की श्रेणी</th><th>पंजीकरण शुल्क (देय कर अतिरिक्त)</th><th>नवीनीकरण शुल्क (देय कर अतिरिक्त)</th></tr><tr><td>1</td><td>ए श्रेणी</td><td>रू 0-9000/-</td><td>रू 0-4500/-</td></tr><tr><td>2</td><td>बी श्रेणी</td><td>रू 0-2000/-</td><td>रू 0-1000/-</td></tr></table></td><td>पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ठेकेदारों के प्रकार</td><td>विभाग में 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के ठेकेदार होगें। 'ए' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था का कार्य किया जायेगा तथा</td><td>यह व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।</td></tr>
</table>

AN GO

		अन्य परिवहन हैण्डलिंग कार्य 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा किया जा सकेगा।	
6	पात्रता की शर्तें	**ए श्रेणी-** **1-** ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण की अनिवार्यता इस शर्त के साथ कि अनुबन्ध होने तक निविदादाता ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण करा ले। **2-** चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार की अनिवार्यता। **3-** आयकर विवरणी (विगत 03 वर्षो का आयकर रिर्टन, बैलेन्स शीट, प्राफिट एवं लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स आडिट रिपोर्ट (जहां जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर.ओ.सी. रिटर्न की अनिवार्यता/पैन एवं जी.एस.टी. की अनिवार्यता। (भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा) यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षो का आयकर रिर्टन, बैलेन्स शीट, प्राफिट एवं लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स आडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नई बनी हो तो सम्बिन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। **4-** हैसियत रू-40 लाख। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत मान्य होगी। **5-** पंजीकरण हेतु न्यूनतम 10 ट्रक (भारी वाहन/09 टन या अधिक क्षमता) तथा 02 हल्के वाहनों (यथा हॉफ डाला, पिक-अप आदि) की अनिवार्यता, जिसमें से न्यूनतम 05 ट्रक स्वयं के होने अनिवार्य होंगे तथा 05 ट्रक एवं 02 ट्रक हल्के वाहन किरायेनामे के लगाये जा सकेंगे। किसी भी दशा में हल्के वाहनों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ट्रकों/वाहनों की आयु परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगी। पंजीकरण की वैधता पंजीकरण की तिथि से 02 वर्ष के लिए मान्य होगी। **6-** विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 40 लाख का खादय विभाग,	**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिंगल स्टेज परिवहन/हैण्डलिंग कार्य हेतु -** 1-ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण की अनिवार्यता इस शर्त के साथ कि अनुबन्ध होने तक निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण करा ले। 2-चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार की अनिवार्यता। 3-आयकर विवरणी (विगत 03 वर्षो का आयकर रिर्टन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहॉ जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न की अनिवार्यता। पैन एवं जी0एस0टी0 की अनिवार्यता। (भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा) यदि भागीदारी फर्म/ कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। 4-हैसियत रू-30 लाख। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत मान्य होगी। 5-सिंगल स्टेज के टेण्डर हेतु परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदार को टेण्डर की शर्तें के बिन्दु-03 में निहित प्राविधानों के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने होगें, जिसमें आवश्यकतानुसार हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित किया जा सकेगा। 6- विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 30 लाख का खादय विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/ अर्द्धसरकारी विभाग, सहकारी, केन्द्र व राज्य

AN GO

सहयोगी एजेन्सी सरकारी/अर्द्ध सरकारी, सहकारी, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 40 लाख का कार्यानुभव। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव मान्य होगा। 7- अपेक्षित ठेकेदारों की संख्या बढ़ाने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं नये लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यदि किसी ठेकेदार के पास बिन्दु-06 में वर्णित कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी। **नोट:-** 1- ट्रकों की संख्या का निर्धारण 09 टन की क्षमता के आधार पर आंकलित है। अतः यदि योजित ट्रक की भार क्षमता अधिक होगी, तो ट्रकों की संख्या उसी अनुपात में कम भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रक की क्षमता 09 टन से अधिक है, तो अधिक क्षमता के समानुपात में ट्रकों की संख्या कम भी मान्य होगी अर्थात 09 टन के 10 ट्रक की क्षमता 90 टन बनी एवं यदि ठेकेदार द्वारा 09 टन से अधिक भार क्षमता के वाहन योजित किये जाते है तो ट्रकों की संख्या 10 ट्रक से कम भी उस शर्त के साथ मान्य होगी कि उनकी सम्मिलित भार क्षमता 90 टन से कम न हो। 2- वाणिज्यिक वाहन से तात्पर्य है, जो परिवहन विभाग में वाणिज्यिक (कामर्शियल) कार्य हेतु पंजीकृत हो। **बी श्रेणी-** 1- ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण की अनिवार्यता इस शर्त के साथ कि कार्यादेश निर्गत होने के 01 माह के भीतर निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण करा ले। 2- चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार की अनिवार्यता। 3- आयकर विवरणी (विगत 03 वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेन्स शीट, प्राफिट एवं लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स आडिट रिपोर्ट (जहां जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर.ओ.सी. रिटर्न की अनिवार्यता। पैन एवं	सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू030 लाख का कार्यानुभव। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव मान्य होगा। 7- अपेक्षित ठेकेदारों की संख्या बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं नये लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यदि किसी ठेकेदार के पास बिन्दु-06 में वर्णित कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी। **नोटः -** 1. ट्रकों की संख्या का निर्धारण 09 टन की क्षमता के आधार पर आंकलित है। अतः यदि योजित ट्रक की भार क्षमता अधिक होगी, तो ट्रकों की संख्या उसी अनुपात में कम भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रक की क्षमता 09 टन से अधिक है, तो अधिक क्षमता के समानुपात में ट्रकों की संख्या कम भी मान्य होगी अर्थात 09 टन के 10 ट्रक की क्षमता 90 टन बनी एवं यदि ठेकेदार द्वारा 09 टन से अधिक भार क्षमता के वाहन योजित किये जाते हैं, तो ट्रकों की संख्या 10 ट्रक से कम भी इस शर्त के साथ मान्य होगी कि उनकी सम्मिलित भार क्षमता 90 टन से कम न हो। 2. वाणिज्यिक वाहन से तात्पर्य है, जो परिवहन विभाग में वाणिज्यिक (कमर्शियल) कार्य हेतु पंजीकृत हों। **अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य हेतु:-** 1-ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण की अनिवार्यता इस शर्त के साथ कि कार्यादेश निर्गत होने के एक माह के भीतर निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण करा ले। 2-चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार की अनिवार्यता। 3-आयकर विवरणी (विगत 03 वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहाँ

		जी.एस.टी. की अनिवार्यता। (भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा)। यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हो तो उतने ही वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेन्स शीट, प्राफिट एण्ड लास एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स आडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हों। यदि कोई फर्म या कम्पनी नई बनी हो तो सम्बिन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। 4- हैसियत रू0-05 लाख। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत मान्य होगी। 5- पंजीकरण हेतु न्यूनतम 01 ट्रक अथवा हल्का वाणिज्यिक वाहन की अनिवार्यता होगी, जो स्वयं के स्वामित्व की होनी अनिवार्य है। ट्रकों/वाहनों की आयु परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगी। **पंजीकरण की वैधता पंजीकरण की तिथि से 02 वर्ष के लिए मान्य होगी।** 6- विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0-05 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्ध सरकारी, सहकारी, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0-05 लाख का कार्यानुभव। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव मान्य होगा। 7- ठेकेदारों की संख्या बढ़ाने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं नये लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यदि किसी ठेकेदार के पास बिन्दु-06 में वर्णित कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी। **नोटः- वाणिज्यिक वाहन से तात्पर्य है, जो परिवहन विभाग में वाणिज्यिक (कामर्शियल) कार्य हेतु पंजीकृत हो।**	जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न की अनिवार्यता। पैन एवं जी0एस0टी0 की अनिवार्यता। (भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा) यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। 4- हैसियत रू-05 लाख। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत मान्य होगी। 5- न्यूनतम 01 ट्रक अथवा हल्का वाणिज्यिक वाहन की अनिवार्यता होगी, जो स्वयं के स्वामित्व की होनी अनिवार्य है। ट्रकों/वाहनों की आयु परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगी। 6- विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 05 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, सहकारी, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 05 लाख का कार्यानुभव। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव मान्य होगा। 7- ठेकेदारों की संख्या बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं नये लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यदि किसी ठेकेदार के पास बिन्दु-06 में वर्णित कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी। **नोटः-** वाणिज्यिक वाहन से तात्पर्य है, जो

परिवहन विभाग में वाणिज्यिक (कमर्शियल) कार्य हेतु पंजीकृत हों।

7 टेण्डर की शर्तें

ए श्रेणी के ठेकेदार के कार्यों हेतु-

1-धरोहर धनराशि रू-60000 (प्रति ब्लाक/ केन्द्र)

2 - प्रतिभूति धनराशि- पंजीकरण हेतु अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता रखने वाले ठेकेदारों हेतु एक माह के समतुल्य तथा कार्यानुभव की अपेक्षित अर्हता न रखने वाले ठेकेदारों हेतु दो माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि।

3- ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं व किरायेनामे के 09 टन या उससे अधिक क्षमता के ट्रकों एवं आवश्यकतानुसार हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रकों/वाहनों की अनिवार्यता निम्नवत् होगी:-

क्र.	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता	किराये के ट्रकों की अनिवार्यता	कुल ट्रकों की अनिवार्यता
1	6000 कु. तक	2	2	4
2	10,000 कु. तक	3	3	6
3	14,000 कु. तक	4	4	8
4	18,000 कु. तक या इसके ऊपर	5	5	10

4- एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल-1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लाक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक/केन्द्र में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल-1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक ब्लाक/केन्द्र आवंटित हो जायेगा।

ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल- 1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक/केन्द्र हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा।

5- प्रत्येक वाहन में आयुक्त, खाद्य तथा रसद

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिंगल स्टेज परिवहन/हैण्डलिंग कार्य हेतु -

1- धरोहर धनराशि - रू-60000 (प्रति केन्द्र)

2-प्रतिभूति धनराशि-अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता रखने वाले ठेकेदारों हेतु एक माह के समतुल्य तथा कार्यानुभव की अपेक्षित अर्हता न रखने वाले ठेकेदारों हेतु दो माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि।

3- ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं व किरायेनामे के 09 टन या उससे अधिक क्षमता के ट्रकों एवं आवश्यकतानुसार हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित करते हुये, ट्रकों/वाहनों की अनिवार्यता निम्नवत् होगी:-

क्र	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता	किराये के ट्रकों की अनिवार्यता	कुल ट्रकों की अनिवार्यता
1	6000 कु. तक	1	3	4
2	10,000 कु. तक	1	5	6
3	14,000 कु. तक	2	6	8
4	18,000 कु. तक या इसके ऊपर	2	8	10

4- एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल-1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लॉक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक केन्द्रों/क्षेत्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल-1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल-1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लॉक का कार्य

ANGO

		विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार जी0पी0एस0 लगवाना अनिवार्य होगा। 6- ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुरूप किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की दशा में, 02 साल के लिये अनिवार्य रूप से किराये पर लिया जायेगा। प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 लगवाना अनिवार्य होगा। 7- सिंगल स्टेज ठेकेदार को उचित दर विक्रेता के यहां खाद्यान्न प्राप्त कराने हेतु, खाद्यान्न की तौलाई हेतु, इलेक्ट्रनिक कांटा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परिवहनकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाकर सम्बन्धित उचित दर विक्रताओं तक परिवहन कार्य (तौल/लोडिंग/ अनलोडिंग एवं समस्त प्रकार के हैण्डलिंग व अन्य चार्जेज सहित) स्वीकृत दर पर किया जायेगा। **नोट- भारतीय खाद्य निगम गोदाम का तात्पर्य सी.डब्लू.सी., एस.डब्लू.सी, पी.ई.जी. एवं समस्त ऐसे बफर गोदाम से है, जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न संग्रहीत किया गया है।** **बी श्रेणी के ठेकेदार के कार्यों हेतु-** 1-धरोहर धनराशि रू-12,000 (प्रति ब्लाक/केन्द्र) 2-प्रतिभूति धनराशि- पंजीकरण हेतु अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता रखने वाले ठेकेदारों हेतु एक माह के समतुल्य तथा कार्यानुभव की अपेक्षित अर्हता न रखने वाले ठेकेदारों हेतु दो माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि। 3-हैण्डलिंग कार्यों के टेण्डर हेतु ट्रकों की आवश्यकता नहीं होगी। 4-अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्यों के अन्तर्गत परिवहन कार्यों हेतु ठेकेदार के पास स्वयं का एक ट्रक होने पर एक ब्लाक/केन्द्र हेतु टेण्डर डाला जा सकेगा एवं एल-1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके 01 ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा। उक्त के आधार पर टेण्डरदाता 03 ब्लाकों/केन्द्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल-1 स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक ब्लाक/केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल-1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाकों/केन्द्रों हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक	आवंटित हो सकेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल-1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक/केन्द्र हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा। 5-प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 लगवाना अनिवार्य होगा। 6-ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुरूप किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की दशा में, 02 साल के लिये अनिवार्य रूप से किराये पर लिया जायेगा। प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 लगवाना अनिवार्य होगा। 7-सिंगल स्टेज ठेकेदार को उचित दर विक्रेता के यहाँ खाद्यान्न प्राप्त कराने हेतु खाद्यान्न की तौलाई हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परिवहनकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाकर सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं तक परिवहन कार्य (तौल/लोडिंग/अनलोडिंग एवं समस्त प्रकार के हैण्डलिंग व अन्य चार्जेज सहित) स्वीकृत दर पर किया जायेगा। नोट- भारतीय खाद्य निगम गोदाम का तात्पर्य सी0डब्लू0सी0, एस0डब्लू0सी0, पी0ई0जी0 एवं समस्त ऐसे बफर गोदाम से है, जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न संग्रहीत किया गया है। **अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य हेतु:-** 1-धरोहर धनराशि - रू-12000 (प्रति केन्द्र) 2-प्रतिभूति धनराशि- अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता रखने वाले ठेकेदारों हेतु एक माह के समतुल्य तथा कार्यानुभव की अपेक्षित अर्हता न रखने वाले ठेकेदारों हेतु दो माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि। 3-हैण्डलिंग कार्यों के टेण्डर हेतु ट्रकों की आवश्यकता नहीं होगी। 4- अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्यों के अन्तर्गत परिवहन कार्यों हेतु ठेकेदार के पास स्वयं का एक ट्रक होने पर एक केन्द्र हेतु टेण्डर डाला जा सकेगा एवं एल-1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा। उक्त

		ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा।	के आधार पर टेण्डरदाता 03 ब्लॉकों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल-1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल-1 की स्थिति मे ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं केन्द्रों हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लाक का कार्य आवंटित हो सकेगा।

3- शेष शासनादेश संख्या-878/29-6-2021-85सा0/17 दिनांक 14-06-2021 में उल्लिखित टेण्डर की शर्तें यथावत् रहेंगी। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-754 34 /29-6-2021-85सा0/2017

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1-आयुक्त
खाद्य एवं रसद विभाग
जवाहर भवन, लखनऊ ।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

4-प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक
वस्तु निगम लिमिटेड ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 09 मार्च, 2021

विषय- भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान कर सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदेश के चिन्हित लाभार्थियों को सब्सिडाइज्ड दरों पर पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का दायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा-24(2)(ए) में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रदेश सरकार सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्यान्न केन्द्र सरकार के नियत गोदामों से प्राप्त कर अधिकृत एजेन्सियों के माध्यम से उचित दर दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी करायेगी। खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी करने हेतु वर्तमान में 02 स्तरीय परिवहन हैंडलिंग व्यवस्था शासनादेश संख्या-970/29-6-2018-85सा0/17 दिनांक 20-04-2018 द्वारा निर्गत है। उक्त व्यवस्था में शासनादेश संख्या-1440/29-6-2018-85सा0/17 दिनांक 11-06-2018, संख्या-1906/29-6-2018-85सा0/17 दिनांक 16-08-2018, संख्या-1974/29-6-2018-85सा0/17 दिनांक 14-09-2018, तथा संख्या-251/29-6-2018-85सा0/17 दिनांक 10-03-2019 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु वर्तमान में प्रभावी 02 स्तरीय परिवहन हैंडलिंग नीति से खाद्यान्न के ब्लॉक गोदामों से कम तौल कर प्राप्त होने, डायवर्जन व कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त होने एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में निहित मूल भावना का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाने के कारण वर्तमान नीति को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पायी गयी। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उठान कर सीधे उचित दर दुकान तक प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से पहुँचाने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य एवं रसद के पत्र संख्या-1164/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगल स्टेज/नीति/1318/2020 दिनांक 16-02-2021 में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत 02 स्तरीय परिवहन एवं हैडलिंग नीति को अवक्रमित करते हुए खाद्यान्न की नवीन सिंगल स्टेज परिवहन

नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। खाद्यान्न की सिंगल स्टेज परिवहन नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः-

(1) सिंगल स्टेज परिवहन का कार्य करने हेतु नये टेण्डर करके कार्य आवंटित कर सम्पूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कर ली जायेगी। सिंगल स्टेज परिवहन के टेण्डर को सम्पादित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक की होगी। सिंगल स्टेज व्यवस्था के अन्तर्गत ब्लॉकों के आधार पर ई-टेण्डर आमंत्रित करते हुये हैंडलिंग व परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा की जायेगी। टेण्डर की प्रक्रिया में जिलाधिकारी के किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जायेगा। नवीन टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होकर नया कार्य आवंटित होने तक की अवधि में वर्तमान परिवहन व हैंडलिंग ठेकेदार सिंगल स्टेज खाद्यान्न डिलीवरी का कार्य करेंगे ताकि आम जनमानस को खाद्यान्न आपूर्ति में समस्या न हो। यदि कोई परिवहन ठेकेदार खाद्यान्न परिवहन की उक्त व्यवस्था से सहमत नही होता व खाद्यान्न उठान की कार्यवाही बाधित होती है तो ऐसे परिवहन ठेकेदार नये टेण्डर में भाग लेने हेतु अनर्ह होंगे। वर्तमान परिवहन व हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा सिंगल स्टेज खाद्यान्न डिलीवरी का कार्य करने से मना करने पर क्षेत्र के नजदीक वाले ठेकेदार से कार्य कराया जा सकेगा। परन्तु ऐसा अपरिहार्य परिस्थितियों में ही खाद्य आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा। नये टेण्डर की प्रक्रिया की मण्डलायुक्त द्वारा नियमित समीक्षा की जायेगी व किसी प्रकार की समस्या आने पर खाद्यायुक्त को अवगत कराया जायेगा। ई-टेण्डर हेतु खाद्यायुक्त द्वारा "MODEL RFP" ड्राफ्ट व एग्रीमेंट तैयार कर सम्भागों को प्रेषित किया जायेगा।

(2) सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था हेतु सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं को आवंटन माह के पूर्व माह की पहली तारीख तक, आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि ई-चालान के माध्यम से सम्बन्धित विपणन केन्द्र के बैंक खाते में जमा करना होगा। सम्बन्धित ब्लॉक का पूर्ति निरीक्षक उचित दर विक्रेताओं से धनराशि इस प्रकार जमा करायेगा कि सम्बद्ध किये गये सभी उचित दर विक्रेताओं की धनराशि पूर्व निश्चित तिथि तक जमा हो जाये। धनराशि जमा की सूचना सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा प्रेषण प्रभारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपद स्तर पर समय से राशन की पूर्ण धनराशि जमा कराने की जिम्मेदारी जिलापूर्ति अधिकारी की होगी। सम्पूर्ण जिले की दुकानवार खाद्यान्न आवंटन तथा जमा धनराशि की सूचना एफ0सी0आई0 डिपो पर तैनात डिस्पैच प्रभारी को उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी का होगा। एन0आई0सी0 के माध्यम से सप्लाई चेन मैनेजमेण्ट में उचित दर विक्रेता द्वारा राशन की धनराशि की ऑन-लाईन जमा कराने की सुविधा प्रदत्त कराने की व्यवस्था खाद्यायुक्त द्वारा विकसित की जायेगी, जिससे भुगतान की प्रक्रिया समयबद्ध व पारदर्शी रूप से लागू हो सके। सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के पूर्णतया लागू हो जाने पर यदि आवश्यकता पड़ती है तो भविष्य में आवश्यकतानुसार एक साथ 02 आवंटन माह के खाद्यान्न उठान की व्यवस्था की जा सकेगी।

(3) डोर स्टेप डिलीवरी की सिंगल स्टेज व्यवस्था के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं का समूह इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि उनका आवंटन एक ट्रक लोड (मार्ग की स्थिति के अनुसार छोटा अथवा बड़ा) के माध्यम से परिवहनीय हो। परिवहनीय मार्गों की स्थिति इस प्रकार अवस्थित की जायेगी कि ट्रक एक ही रास्ते में पड़ने वाली उचित दर दुकानों को खाद्यान्न वितरित करते हुए अन्तिम पड़ाव तक पहुंचे। उचित दर विक्रेताओं के इन समूहों में खाद्यान्न पहुंच का क्रम तथा सम्भावित समय भी विक्रेतावार इंगित किया जायेगा, ताकि यह स्पष्ट रहे कि भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्यान्न निकलने के उपरान्त किस उचित दर दुकान पर कितने समय बाद खाद्यान्न पहुंचेगा। उचित दर विक्रेता की दुकान तक राशन पहुंचाने के सम्भावित समय की जानकारी सभी उचित दर राशनं विक्रेताओं व सभी सम्बन्धित को उपलब्ध

कराने की जिम्मेदारी जिलापूर्ति अधिकारी की होगी। जिलापूर्ति अधिकारी उचित दर विक्रेताओं का समूह, रूट चार्ट के अनुसार तैयार करेंगे। उचित दर विक्रेताओं का समूह तैयार करने की कार्यवाही शासनादेश लागू होने के 15 दिन में पूर्ण कर ली जायेगी।

(4) उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। जिलापूर्ति अधिकारी इस रोस्टर की प्रति सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध करायेगें, ताकि वे पूर्व से ही अवगत रहें कि किस तिथि को कितने सम्भावित समय पर खाद्यान्न दुकान तक उपलब्ध कराया जायेगा। जिलापूर्ति अधिकारी प्रत्येक माह रोस्टर के निर्धारण व अनुपालन की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे व जिलाधिकारी रोस्टर निर्धारण में आने वाली समस्याओं का निराकरण स्वयं के स्तर से करायेंगे। इस योजना को प्रभावी करने हेतु डिस्पैच का सॉफ्टवेयर तैयार कर अग्रिम कार्यवाही आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(5) भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक ट्रक में एक जिन्स (सभी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए, गेहूं अथवा चावल) की लोडिंग करायी जायेगी, ताकि एक उचित दर विक्रेता तक खाद्यान्न, अधिकतम दो बार में पहुंचाया जा सके। यह क्रम समान गति से चलेगा ताकि दोनों जिन्स समय से दुकान पर पहुंचें। रूट चार्ट इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ट्रक एक ही रास्ते में पड़ने वाली उचित दर दुकानों को खाद्यान्न वितरित करते हुए अन्तिम पड़ाव तक पहुंचे। उक्त हेतु भुगतान टेण्डर की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(6) उचित दर विक्रताओं को पूर्ण बोरे में खाद्यान्न की प्राप्ति करायी जानी होगी, जिसके अन्तर्गत उचित दर विक्रताओं को उनके आवंटन के सापेक्ष पूर्ण बोरों में खाद्यांन्न् के वजन के आधार पर, आवंटित खाद्यान्नं कीं प्राप्ति हो सके। उदाहरण के तौर यदि किसी उचित दर विक्रेता का आवंटन 50.25 कुन्तल या अधिक है, तो उस उचित दर विक्रेता को 50.50 कुन्तल खाद्यान्न की प्राप्ति करा दी जायेगी एवं यदि किसी उचित दर विक्रेता का आवंटन 50.25 कुन्तल से कम है तो उसे 50.00 कुन्तल खाद्यान्न की प्राप्ति करायी जायेगी। सम्बन्धित उचित दर विक्रेता को कम या अधिक प्राप्त हुए खाद्यान्न का समायोजन अगले माह प्राप्त कराये जाने वाले खाद्यान्न से करा लिया जायेगा। इसके क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु कार्यकारी व्यवस्था का आदेश आयुक्त खाद्य एवं रसद द्वारा पृथक से निर्गत किया जायेगा। जिले में जिलापूर्ति अधिकारी दुकानवार समायोजन की व्यवस्था बनाने व अतिरिक्त खाद्यान्न को अगले माह के आवंटन में समायोजित करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

(7) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न निर्गत होते ही भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर तैनात प्रेषण प्रभारी द्वारा निकासी की रियल टाइम फीडिंग Online की जायेगी तथा वाहन चालक को प्रदत्त टी0सी0डी0सी0 में ऑनलाइन डिस्पैच आई0डी0 का अंकन किया जायेगा। प्रेषण प्रभारी द्वारा उक्त कार्यवाही सम्पन्न करते ही सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं को एस0एम0एस0 के माध्यम से उनकी दुकान हेतु डिस्पैच किये गये खाद्यान्न की सूचना प्राप्त कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि वह खाद्यान्नं की प्राप्ति करने हेतु अपनी दुकान पर उपस्थित रहें। सप्लाई चेन मैनेजमेण्ट पोर्टल पर उक्तानुसार सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन एन0आई0सी0 की सहायता से कराया जायेगा। इस व्यवस्था में अपरिहार्य कारणवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता पाये जाने पर आवश्यक परिवर्तन हेतु आयुक्त खद्य एवं रसद अधिकृत होंगे। जिलाधिकारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम डिपों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कराकर प्रेषण प्रभारी की उपस्थिति व उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। प्रेषण प्रभारी जिलापूर्ति अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(8) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवंटन के अनुसार उनके गोदामों पर खाद्यान्न की उपलब्धता व पर्याप्त लेबर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यदि भारतीय खाद्य निगम के किसी गोदाम पर over

crowding या अन्य कोई समस्या है, तो उसका समाधान जनपद स्तर पर जिलापूर्ति अधिकारी/ जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) व क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम द्वारा तत्काल किया जायेगा। यदि जिला स्तर पर समन्वय की कोई समस्या आती है तो आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रदेश स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान आयुक्त, खाद्य एवं रसद तथा महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करके किया जायेगा।

(9) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न की पूरी मात्रा वाहनों में रखवाने की जिम्मेदारी खाद्य विभाग के डिस्पैच प्रभारी व जिलापूर्ति अधिकारी की होगी। जिन जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है उन जनपदों में भी भारतीय खाद्य निगम डिपो पर डिस्पैच प्रभारी खाद्य एवं रसद विभाग का होगा। भारतीय खाद्य निगम के डिपो से ट्रक में खाद्यान्न की पूर्ण मात्रा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न की पुनः तौल किसी अन्य तौल मशीन से भी करायी जा सकती है। उचित दर दुकान पर खाद्यान्न को उतारते समय खाद्यान्न की पूर्ण मात्रा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित परिवहन ठेकेदार का होगा। उचित दर विक्रेता को खाद्यान्न की मात्रा सम्बन्धित परिवहन ठेकेदार द्वारा तौल कर दी जायेगी, यह सुनिश्चित करने का दायित्व जिलापूर्ति अधिकारी का होगा। उचित दर विक्रेता डोर स्टेप से प्राप्त खाद्यान्न की प्राप्ति, डिस्पैच प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराये गये टी0सी0डी0सी0 के प्रत्येक पृष्ठ पर करेगा। प्रारम्भिक रूप में सिंगल स्टेज ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह उचित दर विक्रेता द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न की भौतिक प्राप्ति रसीद अगले दिन सम्बन्धित डिस्पैच प्रभारी को उपलब्ध करायें। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया जायेगा, जिससे खाद्यान्न के पहुँचने की सूचना रियल टाइम पर प्राप्त हो सके तथा परिवहन में लगने वाले समय का पता चल सके। यह सॉफ्टवेयर तत्काल प्रभाव से तैयार किया जायेगा। सॉफ्टवेयर के तैयार होकर क्रियाशील होने तक ऑफलाइन मोड में कार्यवाही की जायेगी।

(10) उचित दर विक्रेताओं की ऐसी दुकानें जहाँ पर भारी वाहन नहीं पहुँच सकते हैं या ऐसी दुकानें जो संकरी गली में हैं एवं जहाँ पर सुगमता से नहीं पहुँचा जा सकता है, का चिन्हीकरण करते हुए इनका व्यवस्थापन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उक्त व्यवस्था लागू करने के अधिकतम 30 दिन में करा लिया जाएगा। इन दुकानों को ऐसे स्थानों पर व्यवस्थित कराया जायेगा जहाँ सुगमतापूर्वक हल्के वाहन पहुँचने में कोई कठिनाई न हो तथा जनता बिना भेदभाव व बाधा के पहुँच सकें। जिलाधिकारी उक्त कार्यवाही का अनुश्रवण करेंगे। यह कार्यवाही चरणबद्ध रूप से 04 महीनें में पूर्ण कर ली जायेगी। यदि किन्ही स्थानों पर यह सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे स्थानों को तत्काल जिलापूर्ति अधिकारी जिलाधिकारी के संज्ञान में लायेंगे व जिलाधिकारी दुकानों का उचित व्यवस्थापन करायेंगे।

(11) लाभार्थियों की 4000 यूनिट से अधिक यूनिट होने की स्थिति में ही नयी उचित दर दुकान खोले जाने की तथा आर्थिक व्यवहार्यता के दृष्टिगत दोनों दुकानों में समान रूप से यूनिट सम्बद्ध किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-6/2019/1358/29-6-2019-162सा0/2001, दिनांक 05-08-2019 एवं शासनादेश संख्या-7/2019/1359/29-6-2019-162सा0/2001, दिनांक 05-08-2019 में दी गयी हैं। उक्त व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। संकरी गलियों में अवस्थित ऐसी दुकानें जिन्हें वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त निरस्त किया गया हो, का नया आवंटन जिलाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप

से ऐसी जगह में ही व्यवस्थित किया जायेगा जहाँ खाद्यान्न वितरण हेतु वाहन आसानी से पहुँच सकें साथ ही आम जनता के लिए राशन प्राप्त करना सुविधाजनक हो।

(12) क्योंकि राशन विक्रेताओं के आर्थिक संसाधन अत्यन्त सीमित है अत: नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभाएँ तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम अपने आर्थिक स्रोतों/मनरेगा आदि योजनाओं से राशन की दुकानों का निर्माण करेंगे। इन दुकानों का क्षेत्रफल कम से कम 225 वर्ग फीट होना चाहिये जिससे राशन का खाद्यान्न उचित प्रकार से रखा जा सके व निरीक्षण के समय बोरों को आसानी से गिना जा सके। इन दुकानों में पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश होना चाहिये। दुकान के सामने 100 वर्ग फीट का एक बरामदा होना चाहिये, जो लाभार्थियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र (Waiting Area) के रूप में उपयोग में लाया जा सके। राशन कार्ड धारकों की 4,000 यूनिट पर एक दुकान का निर्माण किया जायेगा। ये निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में यथासम्भव पंचायत भवन एवं शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के नजदीक स्थान की उपलब्धता के आधार पर स्थापित किये जाने चाहिये, जो राशन के वाहनों के आवागमन की दृष्टि से सुगम हो एवं इसके साथ ही जनता बिना भेदभाव व बाधा के पहुँच सकें तथा राशन प्राप्त करने में सुविधाजनक हो। इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी बल्कि दुकान तक राशन सुगमता से पहुंचाया जा सकेगा। उक्त कार्य शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर पर इसका क्रियान्वयन आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा चरणबद्ध रूप से किया जायेगा। जिलाधिकारियों द्वारा सामुदायिक भवनों/पंचायत भवनों का उपयोग, उचित दर दुकानों के लिए किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु ऐसी उचित दर दुकानों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जो संकरी गलियों में अवस्थित है एवं जहां पर खाद्यान्न के वाहन पहुचने में कठिनाई है।

(13) सिंगल स्टेज परिवहन हेतु चयनित संस्था/अनुबन्धकर्ता द्वारा उचित दर विक्रेता को राशन पहुँचाने की सूचना 02 दिन पूर्व देनी होगी। यदि विक्रेता को खाद्यान प्राप्त करने में कोई समस्या है, तो इसकी जानकारी विक्रेता द्वारा सम्बन्धित जिलापूर्ति अधिकारी को देनी होगी तथा राशन का प्रेषण किसी अन्य तिथि को कराये जाने की भी सूचना उसके द्वारा दी जानी होगी। प्रेषण प्रभारी को इसकी सूचना पूर्ति निरीक्षक द्वारा दी जायेगी और खाद्यान्न प्राप्त होने की अगली तिथि सम्बन्धित राशन विक्रेता को दी जायेगी। परन्तु यह व्यवस्था, अपरिहार्य एवं विषम परिस्थितियों में जैसे किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति अथवा उचित दर विक्रेता के घर पर किसी प्रकार की असामयिक मृत्यु या आस्कमिक घटना होने पर ही प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कारण से उचित दर विक्रेता खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं करता है, तो उसे जिला स्तरीय गोदाम से स्वयं के स्तर पर खाद्यान्न प्राप्त करना होगा, जिसके परिवहन की धनराशि उचित दर विक्रेता को स्वयं वहन करनी होगी।

(14) योजना के क्रियान्वयन का दायित्व जिला स्तर पर जिलाधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी/ जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त, संभागीय खाद्य नियंत्रक तथा संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) का होगा। मण्डलायुक्त मण्डल स्तर पर एवं जिलाधिकारी जिले स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व आयुक्त, खाद्य तथा रसद का होगा। प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक निगम उन क्षेत्रों में जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है, इस योजना को लागू करने हेतु जिम्मेदार होंगे व खाद्य आयुक्त के नियंत्रण में इस योजना को लागू करायेंगे।

(15) डोर स्टेप डिलिवरी की सिंगल स्टेज की व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किये जाने हेतु यह आवश्यक होगा कि जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) व जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सभी उचित दर दुकानों का Comprehensive Route Chart तैयार कर लिया जाये। यह रूट चार्ट न्यूनतम परिवहन दूरी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जायेगा। यह कार्य शासनादेश लागू होने के 15 दिन में पूर्ण कर लिया जाये। खाद्यान्न के ट्रक के भारतीय खाद्य निगम डिपो से गंतव्य दुकान तक पहुँचने का समय भी उपरोक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर लिया जायेगा। ठेकेदार के पास उपलब्ध वाहन यथा हल्के अथवा बड़े वाहनों के दृष्टिगत निविदा में सफल सम्बन्धित ठेकेदार से भी विचार-विमर्श कर लिया जायेगा। इस रूट चार्ट का डाटाबेस जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। रूट चार्ट का जिलाधिकारी से अनुमोदन कराया जायेगा। एक बार रूट चार्ट जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित हो जाने पर उसमें कोई भी संसोधन जिलाधिकारी की अनुमति से ही किया जायेगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) व जिलापूर्ति अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि रूट चार्ट इस संदर्भ में निर्गत निर्देशों के अनुसार है तथा दुकानों की डिपो से न्यूनतम दूरी के आधार पर तैयार किया गया है।

प्रत्येक दुकान तक खाद्यान्न डिलीवरी निर्धारित समय में की जायेगी यदि किन्ही कारणों से ट्रक द्वारा निर्धारित राशन विक्रेता तक खाद्यान्न पहुंचने में देरी होती है तो परिवहन ठेकेदार इसकी स्पष्ट सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को देंगे तथा देरी से पहुंचने का स्पष्ट कारण भी उल्लिखित करेंगे। यदि विलम्ब अप्रत्याशित है तथा खाद्यान्न की मात्रा में कोई कमी परिलक्षित होती है तो इसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी, ताकि वितरण में अनुशासन बना रहे तथा खाद्यान्न की कालाबाजारी प्रभावी रूप से रोकी जा सके। इस निर्धारित शर्त को अनिवार्य रूप से टेण्डर की शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। यदि कोई परिवहन ठेकेदार खाद्यान्न की कालाबाजारी में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी भी स्वत: संज्ञान लेते हुए खाद्यान्न की कालाबाजारी में लिप्त परिवहन ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।

(16) जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा परिवहन ठेकेदार को खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि परिवहन ठेकेदार प्रत्येक ट्रिप हेतु आवश्यक भार क्षमता का वाहन लगा सकें। ऐसी दुकाने जो संकरी गली में हो उन तक खाद्यान्न आपूर्ति की सुगमता के दृष्टिगत परिवहन ठेकेदार भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्न की लोडिंग हेतु अधिकतम 25 प्रतिशत तक हल्के वाहनों को उपयोग में ला सकेंगे।

(17) सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था का क्रियान्वयन होने पर समस्त ब्लॉक स्तरीय गोदाम किरायेदारी से मुक्त (Dehire) कर दिये जायेगें। सभी जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) अपने स्तर से सभी गोदामों को किरायेदारी से मुक्त (Dehire) कर शासन/खाद्यायुक्त को अवगत करा देगें। डेड स्टॉक एवं अन्य अपरिहार्य कार्यों हेतु जिला स्तर पर 01 अथवा 02 गोदाम आवश्यकतानुसार रखे जा सकेंगे। जो गोदाम किराये पर लिये जायेंगे उनमें शासनादेश

संख्या-21/2018/346/29-3-2018जी-26/2002 दिनांक 02-05-2018 में निहित व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा तथा जिनमें पानी, बिजली, महिला व पुरूष प्रसाधन अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों वे ही गोदाम लिये जा सकेंगे। ये गोदाम ऐसी जगह अवस्थित होंगे जहॉ सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता हो, बड़े वाहन सुगमता से आ-जा सकते हों तथा आम जनता की दृष्टि में हों।

(18) सिंगल स्टेज डॉर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न के प्रेषण, प्राप्ति एवं खाद्यान्न के परिवहन में किसी भी प्रकार के डायवर्जन को रोकने के लिए संभाग स्तर पर मण्डलायुक्त/ मण्डलायुक्त द्वारा नामित अधिकारी, संभागीय खाद्य नियंत्रक व संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), जिला स्तर पर जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी (जो अपर जिलाधिकारी से अनिम्न न हो), जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) तथा जिलापूर्ति अधिकारी उत्तरदायी होगें। मुख्यालय, सम्भाग, जिला तथा तहसील स्तर पर समितियों का गठन निम्नांकित व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जो सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत खाद्यान्न के प्रेषण एवं प्राप्ति तथा खाद्यान्न के परिवहन आदि में आने वाली समस्याओं का दिन-प्रतिदिन निराकरण कराते हुए योजना को क्रियान्वित करायेगें :-

(क) मुख्यालय स्तर पर-

आयुक्त, खाद्य एवं रसद	अध्यक्ष
महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम	सदस्य
वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद	सदस्य
अपर आयुक्त, (स्थापना)	सदस्य सचिव
अपर आयुक्त, (आपूर्ति)	सदस्य

(ख) सम्भाग स्तर पर-

मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक	सदस्य
सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी	सदस्य सचिव
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त, खाद्य एवं रसद	सदस्य

(ग) जिला स्तर पर -

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला प्रबंधक	सदस्य
जिलापूर्ति अधिकारी	सदस्य सचिव
02 उचित दर राशन विक्रेताओं के प्रतिनिधि	सदस्य
02 परिवहन ठेकेदारों के प्रतिनिधि	सदस्य

(घ) तहसील स्तर पर-

उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक	सदस्य सचिव
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक	सदस्य

02 उचित दर राशन
विक्रेताओं के प्रतिनिधि सदस्य
02 परिवहन ठेकेदारों के प्रतिनिधि सदस्य

जिला एवं तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से समीक्षा हेतु बैठक की जायेगी।

(19) जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी/प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) द्वारा जिला स्तर पर उक्त योजना का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी के कार्यालय में स्थापित दूरभाष नम्बर का उपयोग कन्ट्रोल रूम के नम्बर के लिये किया जायेगा। कन्ट्रोल रूम के नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये समस्त ट्रक चालकों, उचित दर विक्रेताओं, हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों को उक्त नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही यह नम्बर जिला स्तरीय अधिकारियों के पास मानिटरिंग हेतु उपलब्ध रहेगा। इस कार्य में रखे जाने वाले समस्त ट्रक ड्राइवरों, हैंडलिंग ठेकेदारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों का डाटाबेस तैयार कराया जायेगा। कन्ट्रोल रूम में इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का विवरण रखा जायेगा। शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल पूर्ति निरीक्षक व विपणन निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर तौल कराकर स्टॉक की मात्रा, गुणवत्ता का स्थलीय सत्यापन किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा, निर्धारित समयावधि में उचित दर विक्रेता को सम्पूर्ण मात्रा एवं गुणवत्ता का खाद्यान्न न देने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्राप्त शिकायतों के क्रम में उचित दर विक्रेताओं को प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता की शत-प्रतिशत पुष्टि पूर्ति निरीक्षकों/विपणन निरीक्षकों द्वारा उचित दर विक्रेता से दूरभाष पर सम्पर्क कर की जायेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्न का उठान शत-प्रतिशत जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से किया जायेगा। जी0पी0एस0 युक्त ट्रैक्रिंग सिस्टम को खाद्य आयुक्त कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के साथ-साथ जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम से भी जोड़ा जायेगा।

(20) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन पर **"राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न"** बड़े शब्दों में लिखा जायेगा। जिन स्थानों के लिए खद्यान्न जा रहा है उनका नाम तथा शिकायत निवारण हेतु विभागीय टोल फ्री नम्बर भी ट्रक पर इस प्रकार लिखा जायेगा कि आम जनमानस इसे आसानी से देख सके। इसे लागू करने की जिम्मेदारी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक व जिला खाद्य विपणन अधिकारी की होगी।

(21) भारतीय खाद्य निगम से प्रेषण प्रभारी द्वारा खाद्यान्न प्रेषित करने के पश्चात् सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक व विपणन निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उचित दर विक्रेता को सम्पूर्ण मात्रा एवं उपयुक्त गुणवत्ता का खाद्यान्न पंहुचने सम्बन्धी पर्यवेक्षण कार्य करते हुए उचित दर विक्रेता को प्राप्त खाद्यान्न की पुष्टि का मिलान किया जायेगा तथा इसकी सूचना जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) को उपलब्ध करायी जायेगी एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मण्डलायुक्त के स्तर पर समीक्षा की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण की व्यवस्था करायी जोयगी। आवश्यकतानुसार अन्य निरीक्षणों हेतु आयुक्त खाद्य एवं रसद द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये जा सकेंगे।

(22) जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

कार्यरत है), जिलापूर्ति अधिकारी, 02 उचित दर विक्रेताओं के प्रतिनिधियों व 02 परिवहन ठेकेदारों के प्रतिनिधियों के साथ खाद्यान्न के प्रेषण/प्राप्ति एवं वितरण की समीक्षा की जायेगी। साथ ही उक्त योजना के खाद्यान्न के प्रेषण/वितरण में किसी भी प्रकार के खाद्यान्न डायवर्जन को रोकने हेतु तहसील स्तरीय अधिकारी यथा उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सघन अनुश्रवण किया जायेगा। तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी इसकी मासिक समीक्षा करेगें।

(23) ऐसे जनपद जहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा परिवहन हैंडलिंग का कार्य किया जा रहा है, उन जनपदों में सिंगल स्टेज परिवहन हैंडलिंग की व्यवस्था का क्रियान्वयन इस नीति में निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु सिंगल स्टेज परिवहन नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीया,

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, गोमती नगर, लखनऊ ।
4- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त/उपायुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ।
6- समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग ।
7- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग ।
8- समस्त जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग ।
9- समस्त अनुभाग खाद्य एवं रसद विभाग ।

आज्ञा से,
09.03.21
(अखण्ड प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/महत्त्वपूर्ण

संख्या-878/29-6-2021-85 सा0/17

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन,लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 14 जून,2021

विषय- सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु टेण्डर की शर्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2378/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगलस्टेज/नीति/1318/2020, दिनांक 28-04-2021 व पत्र संख्या-2618/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगल स्टेज/नीति/ 1318/2020, दिनांक 09-06-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर से सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु अनुमोदित टेण्डर की शर्तें एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया तद्नुसार अपने स्तर से आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु अनुमोदित टेण्डर की शर्ते

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>विषय</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ई-पंजीकरण</td><td>प्रत्येक हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदार को ई-टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने हेतु शासनादेश संख्या-3/2017-1067/78-2-2017-42 आई0टी0/2017, दिनांक 12-05-2017 के अनुरूप यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में (etender.up.nic.in) निर्धारित शुल्क जमा करके पंजीकरण एवं नियमानुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। ई-टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी ठेकेदारों को उ0प्र0 सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित शुल्क जमा कर डिजिटल सिग्नेचर बनवा कर टेण्डर में प्रतिभाग करना होगा।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>डिजिटल सिग्नेचर के साथ व्यक्ति, फर्म/ कम्पनी का खाद्य विभाग/ एन.आई.सी. में पंजीकरण</td><td>ऐसे हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदार, जो निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हैं, को खाद्य विभाग के पोर्टल (fcs.up.gov.in) पर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यह पंजीकरण 02 वर्ष हेतु वैध होगा तथा उसे निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा कर 02 वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जा सकेगा। श्रेणीवार पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क (देय कर अतिरिक्त) निम्नवत् होंगेः-
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>ठेकेदार की श्रेणी</th><th>पंजीकरण शुल्क (देय कर अतिरिक्त)</th><th>नवीनीकरण शुल्क (देय कर अतिरिक्त)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ए श्रेणी</td><td>रू0-9000/-</td><td>रू0-4500/-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बी श्रेणी</td><td>रू0-2000/-</td><td>रू0-1000/-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>निविदा शुल्क</td><td>प्रत्येक निविदा का शुल्क प्रचलित शासनादेशों के आलोक में निर्धारित किया जायेगा तथा टेण्डर डालने हेतु उ0प्र0 शासन के ई-टेण्डर पोर्टल "etender.up.nic.in" का उपयोग करना होगा।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>परिवहन/हैण्डलिंग कार्य</td><td>1- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिंगल स्टेज परिवहन / हैण्डलिंग कार्य-
प्रत्येक ब्लोक केन्द्र/क्षेत्र हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्थान्तर्गत एक ठेकेदार नियुक्त किया जायेगा, जो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का खाद्यान्न परिवहन कराकर उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक पहुॅचायेगा एवं उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर तौल सहित अनलोडिंग का कार्य करायेगा। सिंगल स्टेज ठेकेदार उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के पश्चात उनसे प्राप्ति रसीद टी0सी0डी0सी0 पर सदिनांक प्राप्त कर उसे प्रेषण प्रभारी को उपलब्ध</td></tr>
</table>

		करायेगा। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटित चीनी का उठान चीनी मिल से नियत स्थान तक कराना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बिन्धित कार्य, बोरों की रैक, हैण्डलिंग में परिवहन का कार्य/आवश यकतानुसार अन्य कार्य **(भविष्य में राज्य एवं भारत सरकार द्वारा कोई योजना लागू की जाती है, तो उन योजनाओं का परिवहन एवं हैण्डलिंग से सम्बिन्धित कार्य)** भी करवाया जा सकेगा। **2-अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य-** समस्त प्रकार का हैण्डलिंग कार्य, स्थानीय परिवहन कार्य, सीजनल कार्य, तथा अन्य स्थानों (यथा रेल हेड, खाद्य विभाग के गोदाम आदि) से नियत स थान (यथा क्रय केन्द्र, खाद्य विभाग के गोदाम आदि गंतव्य स्थान) तक खाद्य/अन्य जिन्स/बोरा/डेड स्टॉक आदि का परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य आदि। साथ ही आवश्यकतानुसार ठेकेदारों से अन्य कार्य **(भविष्य में राज्य एवं भारत सरकार द्वारा कोई योजना लागू की जाती है, तो उन योजनाओं का परिवहन एवं हैण्डलिंग से सम्बिन्धित कार्य)** भी करवाया जा सकेगा। नोट- **(1) भारतीय खाद्य निगम गोदाम का तात्पर्य सी.डब्लू.सी., एस.डब्लू.सी., पी.ई.जी. एवं समस्त ऐसे बफर गोदाम से है, जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न संग्रहीत किया गया है।** **(2) सीजनल कार्य का तात्पर्य धान / गेहूँ / मक्का आदि के क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये उत्पादों की हैण्डलिंग का कार्य तथा क्रय केन्द्रों से उन उत्पादों को क्रय के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम / मिलर / एस. डब्लू.सी आदि तक परिवहन का कार्य, से है।**
5.	ठेकेदारों के प्रकार	विभाग में 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के ठेकेदार होगें। 'ए' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था का कार्य किया जायेगा तथा अन्य परिवहन हैण्डलिंग कार्य 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा किया जा सकेगा।
6.	पात्रता की शर्तें	ए श्रेणी- 1- ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण की अनिवार्यता इस शर्त के साथ कि अनुबन्ध होने तक निविदादाता ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण करा ले। 2- चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार की अनिवार्यता। 3- आयकर विवरणी (विगत 03 वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेन्स शीट, प्राफिट एवं लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स आडिट रिपोर्ट (जहां जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर.ओ.सी. रिर्टन की अनिवार्यता / पैन एवं जी.एस.टी., की अनिवार्यता।

	(भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनियार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा) यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों, तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेन्स शीट, प्राफिट एवं लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स आडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बिन्धित व यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिर्टन प्रस्तुत करना होगा। 4- हैसियत रू-40 लाख। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत मान्य होगी। 5- पंजीकरण हेतु न्यूनतम 10 ट्रक (भारी वाहन/09 टन या अधिक क्षमता) तथा 02 हल्के वाहनों (यथा होंफ डाला, पिक-अप आदि) की अनिवार्यता, जिसमें से न्यूनतम 05 ट्रक स्वयं के होने अनिवार्य होंगे तथा 05 ट्रक एवं 02 ट्रक हल्के वाहन किरायेनामे के लगाये जा सकेगें। किसी भी दशा में हल्के वाहनों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ट्रकों/वाहनों की आयु परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगी। पंजीकरण की वैधता पंजीकरण की तिथि से 02 वर्ष के लिए मान्य होगी। 6- विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 40 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभाग, सहकारी, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 40 लाख का कार्यानुभव। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव मान्य होगा। 7- अपेक्षित ठेकेदारों की संख्या बढ़ाने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं नये लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यदि किसी ठेकेदार के पास बिन्दु-06 में वर्णित कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी। नोटः- 1- ट्रकों की संख्या का निर्धारण 09 टन की क्षमता के आधार पर आंकलित है। अतः यदि योजित ट्रक की भार क्षमता अधिक होगी, तो ट्रकों की संख्या उसी अनुपात में कम भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रक की क्षमता 09 टन से अधिक है, तो अधिक क्षमता के समानुपात में ट्रकों की संख्या कम भी मान्य होगी अर्थात 09 टन के 10 ट्रक की क्षमता 90 टन बनी एवं यदि ठेकेदार द्वारा 09 टन से अधिक भार क्षमता के वाहन योजित किये जाते है, तो ट्रकों की संख्या 10 ट्रक से कम भी इस शर्त के साथ मान्य होगी कि उनकी सम्मिलित भार क्षमता 90 टन से कम न हो।

		2- वाणिज्यिक वाहन से तात्पर्य है, जो परिवहन विभाग में वाणिज्यिक (कामर्शियल) कार्य हेतु पंजीकृत हो **बी श्रेणी-** 1-ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण की अनिवार्यता इस शर्त के साथ कि कार्यादेश निर्गत होने के 01 माह के भीतर निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण करा ले। 2- चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार की अनिवार्यता। 3- आयकर विवरणी (विगत 03 वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेन्स शीट, प्राफिट एवं लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स आडिट रिपोर्ट (जहां जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर.ओ.सी. रिर्टन की अनिवार्यता। पैन एवं जी.एस.टी. की अनिवार्यता। **(भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा)।** यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हो तो उतने ही वर्षों का आयकर रिर्टन, बैलेन्स शीट, प्राफिट एण्ड लास एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स आडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हों। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बिन्धित व्यक्ति / समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिर्टन प्रस्तुत करना होगा। **4-हैसियत रू0-05 लाख। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत मान्य होगी।** 5- पंजीकरण हेतु न्यूनतम 01 ट्रक अथवा हल्का वाणिज्यिक वाहन की अनिवार्यता होगी, जो स्वयं के स्वामित्व की होनी अनिवार्य है। ट्रकों/वाहनों की आयु परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगी। **पंजीकरण की वैधता पंजीकरण की तिथि से 02 वर्ष के लिए मान्य होगी।** 6- विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0-05 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग, सहकारी, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0-05 लाख का कार्यानुभव। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव मान्य होगा। 7- ठेकेदारों की संख्या बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं नये लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यदि किसी ठेकेदार के पास बिन्दु-06 में वर्णित कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी। **नोटः- वाणिज्यिक वाहन से तात्पर्य है, जो परिवहन विभाग में वाणिज्यिक (कामर्शियल) कार्य हेतु पंजीकृत हो।**
7.	टेण्डर की शर्ते	**ए श्रेणी के ठेकेदार के कार्यों हेतु-** 1-धरोहर धनराशि रू-60000 (प्रति ब्लाक/ केन्द्र)

2- प्रतिभूति धनराशि- पंजीकरण हेतु अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता रखने वाले ठेकेदारों हेतु एक माह के समतुल्य तथा कार्यानुभव की अपेक्षित अर्हता न रखने वाले ठेकेदारों हेतु दो माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि।

3- ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं व किरायेनामे के 09 टन या उससे अधिक क्षमता के ट्रकों एवं आवश्यकतानुसार हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रकों/वाहनों की अनिवार्यता निम्नवत् होगी:-

क्र.	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता	किराये के ट्रकों की अनिवार्यता	कुल ट्रकों की अनिवार्यता
1	6000 कु0 तक	2	2	4
2	10,000 कु0 तक	3	3	6
3	14,000 कु0 तक	4	4	8
4	18,000 कु0 तक या इसके ऊपर	5	5	10

4- एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल-1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लाक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक / केन्द्र में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल-1 की स्थिति में आता है, तो उसे नियमानुसार एक ब्लाक / केन्द्र आवंटित हो जायेगा।

ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल-1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक/केन्द्र हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा।

5- प्रत्येक वाहन में आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार जी0पी0एस0 लगवाना अनिवार्य होगा।

6- ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुरूप किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की दशा में, 02 साल के लिये अनिवार्य रूप से किराये पर लिया जायेगा। प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 लगवाना अनिवार्य होगा।

7- सिंगल स्टेज ठेकेदार को उचित दर विक्रेता के यहां खाद्यान्न प्राप्त कराने हेतु खाद्यान्न की तौलाई हेतु इलेक्ट्रनिक कांटा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। **परिवहनकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाकर सम्बन्धित उचित दर विक्रताओं तक परिवहन कार्य (तौल/लोडिंग/अनलोडिंग एवं समस्त**

प्रकार के हैण्डलिंग व अन्य चार्जेज सहित) स्वीकृत दर पर किया जायेगा।

नोट- भारतीय खाद्य निगम गोदाम का तात्पर्य सी.डब्लू.सी., एस.डब्लू.सी, पी.ई.जी. एवं समस्त ऐसे बफर गोदाम से है, जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न संग्रहीत किया गया है।

बी श्रेणी के ठेकेदार के कार्यों हेतु-

1- धरोहर धनराशि रू-12,000 (प्रति ब्लाक/केन्द्र)

2- प्रतिभूति धनराशि- पंजीकरण हेतु अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता रखने वाले ठेकेदारों हेतु एक माह के समतुल्य तथा कार्यानुभव की अपेक्षित अर्हता न रखने वाले ठेकेदारों हेतु दो माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि।

3- हैण्डलिंग कार्यों के टेण्डर हेतु ट्रकों की आवश्यकता नहीं होगी।

4- अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्यों के अन्तर्गत परिवहन कार्यों हेतु ठेकेदार के पास स्वयं का एक ट्रक होने पर एक ब्लाक/केन्द्र हेतु टेण्डर डाला जा सकेगा एवं एल-1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके 01 ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा। उक्त के आधार पर टेण्डरदाता 03 ब्लाकों/केन्द्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल-1 की स्थिति में आता है, तो उसे नियमानुसार एक ब्लाक/केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल-1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाकों/केन्द्रों हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लाक/केन्द्र का कार्य आवंटित हो सकेगा।

8 हैण्डलिंग एवं परिवहन दरों का स्लैब

सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था में भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त करके उचित दर विक्रेता तक परिवहन (हैण्डलिंग कार्यादि सम्मिलित) के अन्तर्गत निम्नवत् शिड्यूल व दरें निर्धारित की जाती हैः-

क्र.	स्लैब	दर
1	0-8 किमी0	टेण्डर के आधार पर एल-1, किन्तु अधिकतम रू0 16.43 प्रति कुं0 अनुमन्य।
2	08-20 किमी0	टेण्डर के आधार पर एल-1, किन्तु अधिकतम रू0 0.78 प्रति कुं0 प्रति कि0 मी0 अनुमन्य।
3	20-40 किमी0	टेण्डर के आधार पर एल-1, किन्तु अधिकतम रू0 0.62 प्रति कुं0 प्रति कि0 मी0 अनुमन्य।
4	40-80 किमी0	टेण्डर के आधार पर एल-1, किन्तु अधिकतम रू0 0.51 प्रति कुं0 प्रति कि0 मी0 अनुमन्य।
5	80 से अधिक दूरी हेतु।	टेण्डर के आधार पर एल-1, किन्तु अधिकतम रू0 0.42 प्रति कुं0 प्रति कि0 मी0 अनुमन्य।

नोट-

		1- तकनीकी वित्तीय बिडों का परीक्षण निम्न समिति द्वारा किया जायेगा:- (1) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक। (अध्यक्ष) (2) सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी। (सदस्य) (3) सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी। (सदस्य) (4) मण्डल मुख्यालय के जिलाधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि। (सदस्य) 2- तकनीकी बिडों के निरस्त किये जाने से सम्बन्धित एवं टेण्डर से सम्बन्धित शिकायतों हेतु अपीलार्थी द्वारा 01 सप्ताह के भीतर मण्डलायुक्त को अपील प्रस्तुत करनी होगी। मण्डलायुक्त द्वारा यथा सम्भव 01 सप्ताह के भीतर अपील का निस्तारण करना होगा एवं विशेष परिस्थितियों में 15 कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से निर्णय किया जायेगा। 3- यदि टेण्डर में एल-1 की प्रस्तावित दर, शिड्यूल की दर से 10 प्रतिशत से उच्च सीमा तक आती है, तो सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एल-1 की दर को, औचित्य का परीक्षण कर स्वीकृत कर सकेंगे। 4- यदि टेण्डर में एल-1 की प्रस्तावित दर शिड्यूल की दर से 10 प्रतिशत उच्च सीमा से और अधिक आती है, तो मण्डलायुक्त से औचित्य का परीक्षण कराकर दरों की स्वीकृति प्राप्त कर एल-1 ठेकेदार की नियुक्ति सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कर सकेंगे। 5- परिवहन कार्य में तौल/लोडिंग/ अनलोडिंग एवं समस्त प्रकार के हैण्डलिंग व अन्य चार्जेज सम्मिलित है। 6- उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न की पावती प्राप्त कर प्रेषण प्रभारी को पावती उपलब्ध कराने के पश्चात् ही ठेकेदार का कार्य पूर्ण माना जायेगा। 7- ठेकेदार को ट्रक/वाहन द्वारा तय की गयी वास्तविक तय दूरी का भुगतान किया जायेगा। अर्थात यदि कोई ट्रक एक दिन में 03 कोटेदार का खाद्यान्न लेकर चलता है, तो उसे तीसरे एवं अन्तिम कोटेदार की दुकान तक पहुँचने में तय की गई कुल वास्तविक दूरी के वजन का भुगतान किया जायेगा।
9	आवेदन हेतु अनर्ह व्यक्ति / फर्म	1- वर्तमान में कार्यरत आढती, गल्ला व्यापारी, मण्डी समिति/वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत खाद्यान्न/चीनी के लाइसेन्सी, उचित दर विक्रेता, मिट्टी के तेल का थोक विक्रेता, चावल मिलर, फ्लोर मिलर, एफ0पी0ओ0, एफ0पी0सी0 एवं अधिवक्ता उक्त हेतु अनर्ह होंगें। वर्तमान में कार्यरत आढती, गल्ला व्यापारी, मण्डी समिति/वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत खाद्यान्न/चीनी के लाइसेन्सी, उचित दर विक्रेता, मिट्टी के तेल का थोक विक्रेता, चावल मिलर, फ्लोर मिलर एफ0पी0ओ0, एफ0पी0सी0 एवं उनके परिवारीजन, जिसमें उत्तर प्रदेश पी0डी0एस0 कन्ट्रोल आर्डर, 2016 में दी गयी परिभाषा के अनुसार सम्मिलित परिवारीजन अनर्ह होंगे, जो निम्नयत हैं: 1- परिवार का मुखिया।

		2- पति/पत्नी विधिक रूप से अपनाये गये दत्तक संतान सहित। 3- वयस्क सन्तान जो परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से आश्रित हो। 4- अविवाहित अथवा विधिक रूप से पृथक अथवा विधवा बेटी, जो पूर्ण रूप से आश्रित हो। 5- परिवार के मुखिया के पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता । 2- ऐसे भागीदार ठेकेदार अथवा उनके परिवारीजन, जो पूर्व में खाद्य विभाग अथवा भारतीय खाद्य निगम अथवा सहयोगी क्रय एजेन्सी से ब्लैक लिस्ट हुये हों, के सहभागिता की फर्म या कम्पनी निविदा आवेदन हेतु अनर्ह होंगे। 3- ऐसे ठेकेदार जिसने विभाग से प्राप्त ठेके का कार्य करते समय किसी कालाबाजारी अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया हो अथवा उसने ठेके को किसी अन्य को सबलेट किया हो तथा ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के उपबन्धों के अधीन दोष सिद्ध हो, उसे आवेदन हेतु अनर्ह माना जायेगा।
10	चयनित फर्म को ब्लैक लिस्ट किये जाने वाले कारक।	ठेकेदार को प्रदत्त ठेका निरस्त करने/ब्लैक लिस्ट करने में अन्य कारणों के साथ-साथ निम्न कारण भी हो सकते है:- • फर्जी अथवा गलत प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख प्रस्तुत करना। • टेण्डर स्वीकार होने के उपरान्त असन्तोषजनक क्रियान्वयन करना। • समय से परिवहन अथवा हैण्डलिंग कार्य न करना। • वांछित प्रतिभूति की धनराशि जमा न करना। • पर्याप्त मात्र में श्रमिक (लेबर) अथवा स्टाफ न रखना। • खाद्यान्न की कालाबाजारी/डायवर्जन आदि में लिप्त पाया जाना। • पर्याप्त मात्रा में ट्रक व अन्य वांछित वाहन उपलब्ध न करा पाना। • आपराधिक इतिहास पाया जाना। • कार्य स्वयं न कर Sub-let करना अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया जाना। • कार्य संचालन में आपराधिक व्यक्तियों को नियोजित करना। ठेका / आवेदन को निरस्त / अस्वीकार करने आदि के लिये सभी कारण लिखित में प्रस्तुत किये जायेंगे।
11	ठेकेदार द्वारा समयान्तर्गत कार्य न करने एवं खाद्यान्न की मात्रा में कोई कमी करने पर दण्ड का प्राविधान।	1- ठेकेदार को सौंपे गये निर्धारित मात्रा के अनुसार एवं समान गुणवत्ता का खाद्यान्न / स्टोंक समयान्तर्गत गंतव्य स्थान पर पहुंचाना आवश्यक होगा। खाद्यान्न / स्टॉक की मात्रा एवं गुणवत्ता में किसी तरह की कालाबाजारी, मिलावट या अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर घटित हानि की वसूली हेतु हर सम्भव वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही परिवहनकर्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए हानि की वसूली प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुए, अवशेष हानि (धनराशि) की वसूली भू-राजस्व संहिता के प्रविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

		2- परिवहन के दौरान खाद्यान्न की क्षति होने की दशा में परिवहन ठेकेदार से खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति की वसूली / कटौती उसी माह ठेकेदार के लम्बित बिल/विपत्रों से निम्न प्रकार से की जायेगी:- 1- पूरे बोरे की हानि होने पर- आर्थिक लागत मूल्य का दोगुणा। 2- एक बोरे की 25 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर- आर्थिक लागत मूल्य का डेढ़ गुणा। 3- एक बोरे की 25 प्रतिशत या इससे कम हानि होने पर- आर्थिक लागत मूल्य के समतुल्य।
12	ठेके की अवधि	ठेकों की अवधि आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष की होगी, जिसे अपरिहार्य स्थिति में संभागीय खाद्य नियंत्रक के अनुरोध पर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अधिकतम 03 माह की अतिरिक्त अवधि हेतु पूर्व स्वीकृत दर पर ठेका विस्तार किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगें। इसके उपरान्त ठेके की अवधि का विस्तार शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।
13	जी0पी0एस0 सिस्टम	• **प्रत्येक ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही योजित वाहनों में जी0पी0एफ0 लगवाना अनिवार्य होगा।** • सिंगल स्टेज परिवहन योजना के प्रत्येक ठेकेदार को विभाग द्वारा चयनित जी0पी0एस0 सेवा प्रदाता से अपने वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। • इस मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से समायोजित करते हुये, सेवा प्रदाता को की जायेगी। • सेवा प्रदाता का कार्य वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगाना, उसका मैंनटेनेन्स व उसकी कन्ट्रोलिंग भी करना होगा। • उक्त के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0, जवाहर भवन लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा निर्देश मान्य होगें।
14	ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्ति	हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता के पास उपलब्ध ई-पॉश मशीन पर प्राप्ति रशीद देनी होगी।
15	कठिनाईयों का निराकरण/ टेण्डर शर्तों में परिवर्तन का अधिकार	हैण्डलिंग व परिवहन नीति अथवा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के क्रियान्वयन को सुगमता से लागू करते समय यदि कोई व्यवहारिक कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिए स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, तो नीति में बिना किसी परिवर्तन एवं स्थिति स्पष्ट करने अथवा निर्णय लेने हेतु आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे एवं टेण्डर की शर्तों में परिवर्तन की स्थिति में आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
16	हैण्डलिंग एवं	प्रदेश में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने तथा हैण्डलिंग एवं

परिवहन नीति का क्रियान्वयन	परिवहन नीति के सुचारू क्रियान्वयन कराये जाने के उद्देश्य से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने हेतु आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ अधिकृत होगें।

Digitally signed by बी0बी0 सिंह
Date:Mon Jun 14 14:07:00 IST 2021
Reason: Approved

2744

पत्रांक – आ0वि0शा0 / हैण्ड0परि0 / सिंगल स्टेज / नीति / 1318 / 2020

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक –16 जून, 2021

विषय– सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु ई–टेण्डर किये जाने हेतु "MODEL RFP" के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया शासनादेश संख्या–मु0स0 34 / 29–6–2021–85 सा / 2017 दिनांक–09.03.2021 एवं शासनादेश संख्या–878 / 29–6–2021–85सा / 17 दिनांक–14.06.2021 के कम में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु ई–टेण्डर किये जाने हेतु **"MODEL RFP"** संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु शासनादेशों के कम में तत्काल ई–टेण्डर आमंत्रित करते हुये हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(मनीष चौहान)
आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. समस्त उपायुक्त / संयुक्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारी / सम्भागीय लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी / जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(मनीष चौहान)
आयुक्त

पत्रांक– 3720 /मु0वि0अ0/डोर स्टेप डिली0/541–।।/2016

प्रेषक,

अपर आयुक्त (विपणन),
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

2– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम,
लखनऊ।

3– समस्त सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4– समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

5– समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

6– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक-26 सितम्बर, 2022

विषय–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संचलन और उठाई–धराई तथा प्वाइन्ट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिकी हेतु अतिरिक्त मार्जिन दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1974/29–6–2022–ई–29–6099/2301/2020 दिनांक–01.09.2022 द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–23.05.2022 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अन्तर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई मद तथा प्वाइन्ट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन को दिनांक–01.04.2022 से कमशः रू0 65 प्रति कुन्तल के स्थान पर रू0 70 प्रति कुन्तल तथा प्वाइन्ट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिकी हेतु अतिरिक्त मार्जिन दर को रू0 17 प्रति कुन्तल से बढ़ाकर रू0 21 प्रति कुन्तल की दर से अनुमन्य कराये जाने के निर्णय से अवगत कराते हुये, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में शासन के उपरोक्त पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(अरूण कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (विपणन)।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त (आपूर्ति), खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वयैक्तिक सहायक, खाद्यायुक्त कैम्प कार्यालय को खाद्यायुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(अरूण कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (विपणन)।

प्रभारी (PDS)
कृपया तत्काल नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करें।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा
Letter new

1098
26/09/2022

Scanned with OKEN Scanner

-2-

संख्या- 1974/29-6-2022-ई-29-6099/2301/2020

प्रेषक,

दयाराम

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग,जवाहर भवन, लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 01/09/2022

विषय- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित शासनादेश संख्या-331/29-06-2015-345 सा/12 दिनांक 01-04-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा(राज्य सरकारों की सहायता) नियम, 2015 (अधिसूचना दिनांक 17-08-2015) में निहित व्यवस्थानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई मद रू0 65 प्रति कुन्तल तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दर रू0 17 प्रति कुन्तल अनुमन्य कराने का निर्णय लिया गया था।

2- भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23-05-2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा(राज्य सरकारों की सहायता) नियम, 2015 (अधिसूचना दिनांक 17-08-2015) में संशोधन करते हुए अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई मद को संशोधित करते हुए रू0 65 प्रति कुन्तल के स्थान पर रू0 70 प्रति कुन्तल तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दर को रू0 17 प्रति कुन्तल से बढाकर रू0 21 प्रति कुन्तल दिनांक 01-04-2022 से निर्धारित की गयीं हैं, जिस पर भारत सरकार द्वारा वितरित खाद्यान्न पर 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-05-2022 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई मद तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन को दिनांक 01-04-2022 से क्रमश: रू0 65 प्रति कुन्तल के स्थान पर रू0 70 प्रति कुन्तल तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दर को रू0 17 प्रति कुन्तल से बढाकर रू0 21 प्रति कुन्तल की दर से अनुमन्य कराये जाने का निर्णय

Scanned with OKEN Scanner

लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दया राम)

अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

<u>प्रतिलिपि</u>- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

2- समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0।

3- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), उ0प्र0।

4- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।

5- समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।

6- विभागीय आदेश पुस्तिका।

Signed by दया राम
Date: 01-09-2022 15:46:05
Reason: Approved

आज्ञा से,

(दया राम)

अनु सचिव।

Signature Not Verified
Digitally signed by DINESH SHARMA
Date: 2026.03.13 12:54:11 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner